



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2022-2023



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2022-2023

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

विषय सूची	पृष्ठ i-iii
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xvii
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xviii-xix
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-लोक ऋण	1-3
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4-8
01. सामान्य प्रशासन	9-14
02. विमानन	15-16
03. गृह	17-26
04. पर्यावरण	27-28
05. जेल	29-31
06. वित्त	32-37
07. वाणिज्यिक कर	38-41
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	42-49
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	50-51
10. वन	52-57
11. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	58-60
12. ऊर्जा	61-64
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	65-71
14. पशुपालन एवं डेयरी	72-76
15. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	77-79
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	80-81
17. सहकारिता	82-86
18. श्रम	87
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	88-94
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	95-101
21. लोक सेवा प्रबंधन	102-104
22. नगरीय विकास एवं आवास	105-110

	पृष्ठ
23. जल संसाधन	111-118
24. लोक निर्माण कार्य	119-125
25. खनिज साधन	126-128
26. संस्कृति	129-131
27. स्कूल शिक्षा	132-142
28. राज्य विधान मंडल	143-145
29. विधि और विधायी कार्य	146-153
30. ग्रामीण विकास	154-163
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	164-166
32. जनसंपर्क	167-168
33. जनजातीय कार्य	169-176
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	177
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	178-180
36. परिवहन	181-182
37. पर्यटन	183-184
38. आयुष	185-188
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	189-192
40. पंचायत	193-196
41. प्रवासी भारतीय	197
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	198-200
43. खेल और युवा कल्याण	201-204
44. उच्च शिक्षा	205-210
45. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	211-212
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	213
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	214-220
48. नर्मदा घाटी विकास	221-225
49. अनुसूचित जाति कल्याण	226-233
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	234-238
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	239-240
52. चिकित्सा शिक्षा	241-242
53. अल्प संख्यक कल्याण	243-245

	पृष्ठ
54. पिछड़ा वर्ग कल्याण	246-248
55. महिला एवं बाल विकास	249-257
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	258-260
57. आनंद	261

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	263-265
-------------------	--	---------

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

टिप्पणी:

“अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम” – “और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत पारित निरंक आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम” शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

1. जब आकस्मिकता निधि अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा, समेकित निधि से धनराशि के विनियोग द्वारा आकस्मिक निधि के कोष को बढ़ाया गया है और राशि को वर्ष के दौरान किसी भी विनियोग अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।

2. जब वृद्धि एक अध्यादेश द्वारा होती है जो 31 मार्च तक अस्तित्व में थी और एक अधिनियम नहीं बनी है।

3. जब वृद्धि किसी ऐसे अध्यादेश द्वारा की गई हो जो समाप्त हो गया हो और जिसे वर्ष के अंत से पहले किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उप शीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उप शीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य व्यय के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:—

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उप शीर्ष के कुल प्रावधान में उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
भारित विनियोग- लोक ऋण				
पूँजीगत-				
<i>प्रभारित</i>	2,41,14,09,35	2,20,06,23,84		21,07,85,51
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-				
<i>प्रभारित</i>	2,21,66,43,46	1,94,53,26,82		27,13,16,64
01 सामान्य प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	10,15,29,64	7,48,24,42		2,67,05,22
<i>प्रभारित</i>	90,72,53	49,86,15		40,86,38
पूँजीगत-				
दत्तमत	65,44,83	48,46,23		16,98,60
02 विमानन				
राजस्व-				
दत्तमत	88,06,01	82,40,26		5,65,75
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,21,00,01	7,94		1,20,92,07
03 गृह				
राजस्व-				
दत्तमत	88,11,53,46	76,65,83,56		11,45,69,90
<i>प्रभारित</i>	1,54,50	47,66		1,06,84
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,97,63,02	9,93,27,93		1,04,35,09
04 पर्यावरण				
राजस्व-				
दत्तमत	22,15,01	14,21,15		7,93,86
05 जेल				
राजस्व-				
दत्तमत	4,91,91,05	4,65,26,85		26,64,20
<i>प्रभारित</i>	5,00	0		5,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	87,50,00	54,65,65		32,84,35
06 वित्त				
राजस्व-				
दत्तमत	2,37,63,53,28	1,99,16,98,20		38,46,55,08
<i>प्रभारित</i>	1,11,73,67	9,85,84		1,01,87,83
पूँजीगत-				
दत्तमत	13,73,83,01	47,92,21		13,25,90,80
<i>प्रभारित</i>	1	0		1

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य (हजार ₹ में)
07 वाणिज्यिक कर राजस्व-			
दत्तमत	21,05,63,66	18,67,44,84	2,38,18,82
<i>प्रभारित</i>	<i>12,00</i>	<i>0</i>	<i>12,00</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	18,00,01	1,54,59	16,45,42
08 भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय राजस्व-			
दत्तमत	75,80,76,16	52,18,26,41	23,62,49,75
<i>प्रभारित</i>	<i>92,98,44</i>	<i>89,82,94</i>	<i>3,15,50</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	14,22,01,05	5,53,28,27	8,68,72,78
09 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-			
दत्तमत	61,85,75	53,75,06	8,10,69
<i>प्रभारित</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
10 वन राजस्व-			
दत्तमत	20,09,08,42	17,10,72,20	2,98,36,22
<i>प्रभारित</i>	<i>1,62,50</i>	<i>1,39,34</i>	<i>23,16</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	14,06,79,54	12,86,69,23	1,20,10,31
11 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व-			
दत्तमत	18,01,77,91	14,93,41,16	3,08,36,75
<i>प्रभारित</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	9,45,00,02	9,45,00,00	2
12 ऊर्जा राजस्व-			
दत्तमत	1,69,41,63,16	1,67,16,62,96	2,25,00,20
<i>प्रभारित</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	64,76,94,07	17,05,22,77	47,71,71,30
13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व-			
दत्तमत	2,24,00,84,50	1,91,96,04,78	32,04,79,72
<i>प्रभारित</i>	<i>45,00</i>	<i>22,81</i>	<i>22,19</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	25,00,01	25,00,00	1

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
14 पशुपालन एवं डेयरी राजस्व-				
दत्तमत	14,39,12,01	10,98,25,41	3,40,86,60	
प्रभारित	13,88	4,53	9,35	
पूजीगत-				
दत्तमत	10,33,25	8,18,27	2,14,98	
15 घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	30,85,58	16,30,43	14,55,15	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	5,66,07	3,08,87	2,57,20	
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	2,54,10,15	1,20,98,81	1,33,11,34	
प्रभारित	10,00	2,78	7,22	
17 सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	10,29,34,11	8,41,13,24	1,88,20,87	
प्रभारित	12,00	0	12,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	10,20,12,36	7,50	10,20,04,86	
18 श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	18,67,78,16	17,93,54,60	74,23,56	
प्रभारित	7,00	0	7,00	
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,11,49,18,07	98,75,56,12	12,73,61,95	
प्रभारित	40,00	19,47	20,53	
पूजीगत-				
दत्तमत	10,25,78,15	5,50,51,97	4,75,26,18	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	11,09,67,94	9,91,98,37	1,17,69,57	
प्रभारित	3,25,00	1,05	3,23,95	
पूंजीगत-				
दत्तमत	78,01,52,44	67,28,35,45	10,73,16,99	
21 लोक सेवा प्रबंधन				
राजस्व-				
दत्तमत	82,17,01	70,49,94	11,67,07	
प्रभारित	20	0	20	
पूंजीगत-				
दत्तमत	25,00	0	25,00	
22 नगरीय विकास एवं आवास				
राजस्व-				
दत्तमत	1,21,31,61,55	1,09,13,23,11	12,18,38,44	
प्रभारित	11,67,31,00	8,70,40,45	2,96,90,55	
पूंजीगत-				
दत्तमत	31,95,57,07	31,20,16,29	75,40,78	
प्रभारित	94,00,01	84,00,00	10,00,01	
23 जल संसाधन				
राजस्व-				
दत्तमत	14,99,49,43	11,92,52,90	3,06,96,53	
पूंजीगत-				
दत्तमत	56,35,30,50	54,44,75,93	1,90,54,57	
प्रभारित	29,20,00	28,14,90	1,05,10	
24 लोक निर्माण कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	27,68,06,93	21,47,03,71	6,21,03,22	
प्रभारित	2,00,10	18,42	1,81,68	
पूंजीगत-				
दत्तमत	76,32,05,16	73,50,89,86	2,81,15,30	
प्रभारित	3,40,00,00	2,60,12,03	79,87,97	
25 खनिज साधन				
राजस्व-				
दत्तमत	3,96,35,26	3,73,15,36	23,19,90	
प्रभारित	8,13,10,10	8,13,05,10	5,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	6,76,00,02	6,74,93,14	1,06,88	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
26	संस्कृति			
	राजस्व-			
	दत्तमत	3,16,39,63	2,58,91,09	57,48,54
	प्रभारित	50	0	50
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,78,50,10	54,55,21	3,23,94,89
27	स्कूल शिक्षा			
	राजस्व-			
	दत्तमत	2,63,35,71,99	2,35,15,07,46	28,20,64,53
	प्रभारित	40,00	0	40,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	14,59,30,09	9,18,82,41	5,40,47,68
28	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,03,78,36	92,33,89	11,44,47
	प्रभारित	72,84	34,54	38,30
29	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व-			
	दत्तमत	19,25,07,99	14,74,21,12	4,50,86,87
	प्रभारित	2,23,20,00	1,76,82,60	46,37,40
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	2,37,50,00	2,19,59,00	17,91,00
30	ग्रामीण विकास			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,96,20,42,90	1,47,97,69,72	48,22,73,18
	प्रभारित	6,96	0	6,96
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	38,90,00,12	35,91,87,19	2,98,12,93
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व-			
	दत्तमत	2,93,39,37	2,65,87,65	27,51,72
	प्रभारित	1,00	0	1,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	6,60,14,88	6,23,03,74	37,11,14
32	जनसंपर्क			
	राजस्व-			
	दत्तमत	6,61,27,38	6,47,88,87	13,38,51
	प्रभारित	1,00	9	91
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,00,00	89,47	2,10,53

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
33	जनजातीय कार्य राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	93,11,85,78 9,00	79,92,30,65 0	13,19,55,13 9,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	15,08,11,48	10,96,70,68	4,11,40,80	
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	40,97,54,11 1,20	40,09,60,90 0	87,93,21 1,20	
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	11,98,06,23 31	9,06,20,00 0	2,91,86,23 31	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,36,01,92	1,36,01,23	69	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	1,32,63,69 25,00	91,84,71 25,00	40,78,98 0	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	13,60,01	5,35,07	8,24,94	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	1,68,47,00 1	1,43,37,78 0	25,09,22 1	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,28,00,00	1,28,00,00	0	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	6,00,65,79 8,00	5,24,96,90 0	75,68,89 8,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	23,50,00	21,15,09	2,34,91	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
दत्तमत	11,55,51,62	9,44,22,50	2,11,29,12	
प्रभारित	86	0	86	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,02,55,94	71,20,00	31,35,94	
40 पंचायत राजस्व-				
दत्तमत	80,08,11,94	54,61,92,07	25,46,19,87	
प्रभारित	50	0	50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1	0	1	
41 प्रवासी भारतीय राजस्व-				
दत्तमत	20,83,00	9,44,83	11,38,17	
42 भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व-				
दत्तमत	1,29,57,95	1,16,84,85	12,73,10	
प्रभारित	5,01	41	4,60	
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,10,04	1,27,64	1,82,40	
43 खेल और युवा कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	2,58,57,47	2,35,72,81	22,84,66	
प्रभारित	20	0	20	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,17,79,00	2,16,94,75	84,25	
44 उच्च शिक्षा राजस्व-				
दत्तमत	29,20,73,58	22,56,63,13	6,64,10,45	
प्रभारित	10,00	7,70	2,30	
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,79,19,01	5,59,71,72	1,19,47,29	
45 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन राजस्व-				
दत्तमत	73,79,06	28,58,04	45,21,02	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,00,00,00	67,03,23	1,32,96,77	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	1,71,84,57	1,71,84,25		32
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,34,27,02	3,34,27,01		1
47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार				
राजस्व-				
दत्तमत	14,79,23,93	12,20,34,35		2,58,89,58
प्रभारित	10,00	68		9,32
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,62,44,38	4,24,24,97		38,19,41
48 नर्मदा घाटी विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	4,66,25,55	4,50,98,29		15,27,26
पूँजीगत-				
दत्तमत	73,06,62,02	71,59,36,29		1,47,25,73
प्रभारित	1,00,01	95,55		4,46
49 अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	15,95,88,93	13,15,51,92		2,80,37,01
प्रभारित	10,00	0		10,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,00,00,09	91,83,89		1,08,16,20
50 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,62,85,87	2,88,23,28		3,74,62,59
प्रभारित	1,00	0		1,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00,07	0		5,00,07
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व-				
दत्तमत	1,08,59,36	87,54,65		21,04,71
प्रभारित	1,50	0		1,50

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
52 चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	17,85,40,94	17,07,02,76	78,38,18	
प्रभारित	1	0	1	
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,67,44,58	10,35,11,77	32,32,81	
53 अल्प संख्यक कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	14,46,64	9,10,60	5,36,04	
प्रभारित	10	0	10	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,63,78,91	1,63,78,91	0	
54 पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	15,86,18,05	13,35,12,96	2,51,05,09	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	17,70,01	6,35,77	11,34,24	
55 महिला एवं बाल विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	67,93,03,11	55,83,22,67	12,09,80,44	
प्रभारित	5,00	2,25	2,75	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,89,53,62	1,77,95,67	11,57,95	
56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
राजस्व-				
दत्तमत	1,20,23,52	91,02,64	29,20,88	
प्रभारित	1,00	5	95	
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,00	7,50	17,50	
57 आनंद				
राजस्व-				
दत्तमत	5,00,01	4,22,00	78,01	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
योग	32,16,58,23,48	27,11,14,46,52	5,05,43,76,96	
राजस्व—				
दत्तमत	21,29,73,29,56	18,06,21,33,19	3,23,51,96,37	
प्रभारित	2,46,77,50,64	2,14,66,36,69	32,11,13,95	
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,94,29,13,90	4,66,47,30,33	1,27,81,83,57	
प्रभारित	2,45,78,29,38	2,23,79,46,31	21,98,83,07	
आकस्मिकता निधि द्वारा विनियोग	0	0	0	
गलत वर्गीकरण/ पुनर्वर्गीकरण के कारण, आधिक्य जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता न हो	0	0	0	
महायोग				
राजस्व—	23,76,50,80,20	20,20,87,69,88	3,55,63,10,32	
पूँजीगत—	8,40,07,43,28	6,90,26,76,64	1,49,80,66,64	

निम्नलिखित अनुदानों पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

राजस्व — निरंक

पूँजीगत — निरंक

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

राजस्व — निरंक

पूँजीगत — निरंक

विनियोग लेखे का सार—जारी

विनियोग खातों के सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप से प्राप्त की गई ₹ 19,40,09,664 की राशि शामिल नहीं है, जिसे वर्ष के समापन से पहले निधि में प्रतिपूर्ति नहीं किया गया था। विवरण नीचे दिया गया है:—

अनुदान	मुख्य शीर्ष	अनुभाग	स्वीकृत अग्रिम की राशि	स्वीकृति का दिनांक	अग्रिम से व्यय	अगले वर्ष में अग्रिम की वसूली की तिथि
01—सामान्य प्रशासन	2013	राजस्व दत्तमत	₹ 10,00,00,000	09.12.2022	₹ 29,40,09,664 (₹ 19,40,09,664 अप्रतिपूरित)	--

चूँकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2022—23 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	18,06,21,33,19	2,14,66,36,69	4,66,47,30,33	2,23,79,46,31
घटाइये-वसूलियों का जोड़	21,92,43,48	0	2,22,93,56	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	17,84,28,89,71	2,14,66,36,69	4,64,24,36,77	2,23,79,46,31

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 54, 56 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | |
|----------------------------|---|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, CH-II |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 06, 22, 24 |

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय 31 मार्च 2023 को आहरित कर शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा नहीं की गई है, जो कि निरंक हैं।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा प्रदाय किए गए ई-डाटा के द्वारा, संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा 87.98 प्रतिशत अंक मिलान किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही मध्यप्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे मध्यप्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)—प्रथम के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और मध्यप्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)-प्रथम के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 08 दिसम्बर 2023

स्थान: नई दिल्ली

भारित विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,41,14,09,35			
पूरक	सांकेतिक	2,41,14,09,35	2,20,06,23,84	(-) 21,07,85,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,70,96

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

- (1) ₹ 2,10,785.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 170.96 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 2,354.19	7,645.81	0.00	(-)7,645.81	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,354.19 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अंतर्गत व्यय की असंभावना के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.5437- 7.18 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6003-101.6622- 8.99 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

भारत विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-101.7191-9.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6003-101.7192-8.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश विकास ऋण 2022	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6003-101.9497-7.68 प्रतिशत मध्य प्रदेश उदय बाण्ड, 2023	मूल पुनर्वि.	73,600.00 (-)73,600.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 73,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा शीर्ष में संशोधन किये जाने के कारण हुई।
6003-101.9825-5.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6003-101.9827-5.54 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6003-110.0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल पुनर्वि.	2,00,000.00 (-) 1,26,389.00	73,611.00	0.00	(-)73,611.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,26,389.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	(-)2,00,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-लोक ऋण समाप्त

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-106.9497-7.68 प्रतिशत मध्य प्रदेश उदय बाण्ड, 2023	मूल पुनर्वि.	सांकेतिक 73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 73,600.00 लाख की आवर्धन के कारण उपयुक्त लघु शीर्ष में व्यय का प्रावधान रखा गया।
6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	मूल पुनर्वि.	3,30,000.00 76,389.00	4,06,389.00	4,48,574.04	+ 42,185.04	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 76,389.00 लाख की निधियों का आवर्धन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
6003-101.65-9.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1999	पूरक	0.00	0.00	5.37	+ 5.37	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6004-02.101.9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	मूल पुनर्वि.	70,000.00 50,000.00	1,20,000.00	1,58,338.49	+ 38,338.49	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50,000.00 लाख की निधियों का आवर्धन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
6004-02.101.3052-ब्लॉक कर्जे	मूल	26,000.00	26,000.00	26,874.78	+ 874.78	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)

राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,21,66,43,46			
पूरक	सांकेतिक	2,21,66,43,46	1,94,53,26,82	(-) 27,13,16,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				74,43

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 2,71,316.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 74.43 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.9314- 8.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल 24,150.00	24,150.00	12,092.27	(-) 12,057.73	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.305.2624- पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल 10,000.00	10,000.00	3,894.53	(-) 6,105.47	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6587- अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल 8,000.00	8,000.00	1,555.25	(-) 6,444.75	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2205- नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	मूल 2,000.00	2,000.00	596.00	(-) 1,404.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9826-6.09 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	मूल पुनर्वि.	1.00 1,555.49	1,556.49	1.00	(-) 1,555.49	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,555.49 लाख की निधियों का आर्वधन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9896-7.33 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2042	मूल पुनर्वि.	सांकेतिक 21,990.00	21,990.00	0.00	(-) 21,990.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 21,990.00 लाख की निधियों का आर्वधन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9898-7.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2032	मूल पुनर्वि.	सांकेतिक 15,700.00	15,700.00	0.00	(-) 15,700.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15,700.00 लाख की निधियों का आर्वधन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.5025-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-) 20,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.5436-7.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	पूरक	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.5437-7.18 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	मूल	7,898.00	7,898.00	0.00	(-) 7,898.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.7191-9.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.7192-8.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश विकास ऋण, 2022	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9825-5.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.9827-5.54 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.200.6343-विशेष जमा खाते पर ब्याज	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.7824-प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान	मूल	55,000.00	55,000.00	0.00	(-) 55,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-03.104.4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	1,41,523.55	1,41,523.55	(-) 1,24,666.89	(-) 16,856.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-60.701.0716-विविध ऋण भुगतान	मूल	77,688.30	77,688.30	0.00	(-) 77,688.30	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6971-शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना-2003 (ब्याज)	मूल	7,000.00	7,000.00	0.00	(-) 7,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.123.5042 भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को रा. अ.ब. निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	2,55,000.00 23,505.00	2,78,505.00	3,17,691.31	+ 39,186.31	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 23,505.00 लाख की निधियों का आवर्धन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.200.0845- उदय बान्डस का ब्याज भुगतान	मूल	56,525.00	56,525.00	58,541.44	+ 2,016.44	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-04.101.3707- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	80,000.00	80,000.00	94,995.03	+ 14,995.03	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9032- 8.63 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल पुनर्वि.	6,472.50 6,472.50	12,945.00	12,945.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 6,472.50 लाख की निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9319- 8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	मूल	3,559.88	3,559.88	7,119.75	+ 3,559.87	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9324- 8.37 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल पुनर्वि.	6,701.01 33,631.99	40,333.00	40,333.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 33,631.99 लाख की निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-01.101.9897- 7.08 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2029	मूल पुनर्वि.	सांकेतिक 14,160.00	14,160.00	7,080.00	(-) 7,080.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 14,160.00 लाख की निधियों का आवर्धन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2049-03.104.0095- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	873.26	873.26	1,087.38	+ 214.12	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-03.104.4033- विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	8,000.01	8,000.01	10,730.91	+ 2,730.90	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,24,47,44			
पूरक	90,82,20	10,15,29,64	7,48,24,42	(-) 2,67,05,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,36,69,66

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाये गये व्यय (₹ 7,48,24,41,610) में आकस्मिकता निधि से दिनांक 09.12.2022 को स्वीकृत अग्रिम ₹ 10,00,00,000 के विरुद्ध ₹ 29,40,09,664 का व्यय भी सम्मिलित है। वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि हेतु मात्र ₹ 10,00,00,000 की राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है। आकस्मिकता निधि से बिना स्वीकृति के ₹ 19,40,09,664 की राशि का खर्च हुआ है एवं इस सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति लंबित है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	75,49,53			
पूरक	15,23,00	90,72,53	49,86,15	(-) 40,86,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				22,28,53

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	65,31,41	65,44,83	48,46,23	(-) 16,98,60
पूरक	13,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				11,41,23

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 9,082.20 लाख (₹ 4,082.20 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 5,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 26,705.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 23,669.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	22,099.52 (-) 10,857.78	11,241.74	11,241.74	0.00	₹ 10,857.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12,057.78 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,222.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 10,835.78 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आंशिक रूप से कम व्यय के कारण तथा वृद्धि नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में संभावित व्यय के कारण रही। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायती आम/उप निर्वाचन की प्रक्रिया निरन्तर चलते रहने एवं मार्च में शासन द्वारा प्रतिबंध लगने के कारण हुई।
2052-090.4327- सचिवालय	मूल पुनर्वि.	15,610.46 (-) 4,962.22	10,648.24	11,102.82	+ 454.58	₹ 4,962.22 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.70 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,974.92 लाख (₹ 4,634.37 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 340.55 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। आगामी माहों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी बिल के भुगतान व मंत्रालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिल के कारण वृद्धि तथा कमी अंशतः पद रिक्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य हेतु कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2052-091.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	367.00 (-) 365.84	1.16	1.16	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 365.84 लाख की प्रत्याशित बचत जुलाई माह में नयी योजना का आरम्भ तथा नए मध्य प्रदेश भवन का निर्माण एवं वर्तमान मध्य प्रदेश भवन में संधारण में मितव्ययिता व चालू वित्तीय वर्ष में नए मध्य प्रदेश भवन के न संचालित होने के कारण हुई।
2070-105.4079- विशेष जांच आयोग	मूल पुनर्वि.	91.06 (-) 91.06	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 91.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,270.80 (-) 564.48	706.32	694.31	(-) 12.01	₹ 564.48 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.46 लाख की वृद्धि एवं ₹ 571.94 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.46 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 564.48 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी मितव्ययी होने एवं पर रिक्त होने से बचत होने के कारण हुई तथा वृद्धि नगर पालिका निगम, भोपाल को संपत्ति कर का भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2070-800.9608-क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न करने के सम्बन्ध में कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-60.200.5710-लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि	मूल	6,000.00	6,000.00	4,373.98	(-) 1,626.02	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-800.3283-मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	मूल पुनर्वि.	189.15 128.09	317.24	317.24	0.00	₹ 128.09 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 135.75 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 7.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के अधिकारिक आवासों पर बिजली एवं पानी आदि पर व्यय के भुगतान के कारण एवं कमी के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

प्रभारित

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, अतः दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 1,523.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 4,086.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 2,228.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015.101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग की अनुमानित बचत जुलाई माह में नयी योजना के आरंभ हेतु व्यय के पश्चात् हुई बचत के कारण हुई।
2051.102.3689-राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पूरक पुनर्वि.	5,883.96 1,500.00 (-) 2,204.51	5,179.45	3,690.65	(-) 1,488.80	₹ 2,204.51 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.65 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,223.16 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.65 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 2,204.51 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित बिलों का भुगतान और लीज लाइन इन्टरनेट सेवाएं, भत्तों के भुगतान के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीद, वार्षिक रिपोर्ट की छपाई के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुई जबकि कमी आंशिक रूप से संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत आवश्यकतानुसार व्यय एवं परीक्षा के कैलेंडर में बदलाव के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 13.42 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 1,698.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,141.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.2363- राजभवन में निर्माण संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	550.00 (-) 216.00	334.00	267.97	(-) 66.03	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 216.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4059-01.051.0101.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	904.00 (-) 904.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,503.00 (-) 1,503.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7213- मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	मूल पुनर्वि.	700.00 1,658.51	2,358.51	1,949.69	(-) 408.82	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,658.51 लाख का निधि में आवर्धन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 02—विमानन

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51,91,01			
पूरक	36,15,00	88,06,01	82,40,26	(-) 5,65,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में हुए व्यय (₹ 82,40,26,444) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से कुल स्वीकृति अग्रिम ₹ 11,00,00,000 (दिनांक 04.11.2022 को स्वीकृत ₹ 6,00,00,000 एवं दिनांक 09.12.2022 को स्वीकृत ₹ 5,00,00,000) में से ₹ 11,00,00,000 व्यय की गयी राशि भी शामिल है। वर्ष के दौरान निधि से इसकी प्रतिपूर्ति कर ली गयी है।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,21,00,01			
पूरक	0	1,21,00,01	7,94	(-) 1,20,92,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 565.75 लाख की राशि की अंतिम बचत को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2022 (₹ 1,000.00 लाख) एवं (₹ 2,615.00 लाख) दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 3,615.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 565.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 02—विमानन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल	900.00	900.00	638.33	(-) 261.67	₹ 261.67 लाख की राशि के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजीगत:

- (4) ₹ 12,092.06 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	मूल	100.00	100.00	7.94	(-) 92.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
5053-80.800.0101.6592- नए जेट—विमान का क्रय	मूल	12,000.00	12,000.00	0.00	(-) 12,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 03—गृह

(मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद, 2055-पुलिस, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6216-आवास हेतु ऋण,)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	87,45,19,25			
पूरक	66,34,21	88,11,53,46	76,65,83,56	(-) 11,45,69,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				11,28,67,50

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,54,50			
पूरक	0	1,54,50	47,66	(-) 1,06,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,97,43,02			
पूरक	4,00,20,00	10,97,63,02	9,93,27,93	(-) 1,04,35,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,04,35,08

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाए गए व्यय (₹ 9,93,27,92,778) में दिनांक 29.06.2022 को ₹ 20,00,00,000 की कुल स्वीकृत राशि के आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में खर्च ₹ 20,00,00,000 की राशि सम्मिलित है। इस वर्ष के दौरान निधि हेतु इसकी प्रतिपूर्ति कर ली गयी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 6,634.21 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,14,569.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,12,867.50 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.7189-केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाना, कम खर्च एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 118.81	21.19	21.19	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 118.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	1,61,376.62 (-) 19,936.49	1,41,440.13	1,40,630.93	(-) 809.20	₹ 19,936.49 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 20,028.99 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 312.00 लाख + ₹ 19,716.99 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाना, संभावित बचत तथा वेतन/भत्ता शीर्ष के अंतर्गत बजट का उपयोग न हो पाने के कारण हुई। वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान, आई.पी.एस. अधिकारियों के बकाया डीए का भुगतान तथा मार्च माह के वेतन के लिए बजट की अनुपलब्धता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-109.0707.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना	पूरक पुनर्वि.	5,929.20 (-) 4,183.42	1,745.78	1,737.63	(-) 8.15	समर्पण के रूप में ₹ 4,183.42 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाने की वजह से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पूरक पुनर्वि.	4,87,360.58 150.00 (-) 51,922.75	4,35,587.83	4,35,939.63	+ 351.80	₹ 51,922.75 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,080.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 56,002.75 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,248.66 लाख + ₹ 53,754.09 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाना, संभावित बचत तथा वेतन/भत्ता शीर्ष के अंतर्गत बजट का उपयोग न हो पाने के कारण हुई। वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान, आई. पी.एस. अधिकारियों के बकाया डीए का भुगतान तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए बजट की अनुपलब्धता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2055-115.0701.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	750.01 (-) 481.21	268.80	268.80	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 481.21 लाख की प्रत्याशित बचत कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद न होने के कारण राशि का उपयोग न होने से हुई।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-115.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 320.80	179.20	179.20	0.00	₹ 320.80 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, समय पर उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाने की वजह से हुई।
2055-116.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 140.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा समस्त प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2055-800.0101.1418- आंतरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	261.01 (-) 164.31	96.70	96.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 164.31 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं समय पर उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाने की वजह से हुई।
2055-800.0101.7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	12,660.00 (-) 2,337.02	10,322.98	10,322.98	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,337.02 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं समय पर उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाने की वजह से हुई।
2055-800.6329- नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 665.30	434.70	434.70	0.00	₹ 665.30 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 380.00 लाख + ₹ 285.30 लाख समर्पण के रूप में) कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, समय पर उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाना, संभावित बचत तथा लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-800.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	1,860.00 (-) 798.91	1,061.09	1,049.79	(-) 11.30	समर्पण के रूप में ₹ 798.91 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्त, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-107.0701.7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	90.00 (-) 90.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में समस्त प्रावधान की बचत का कारण शासन स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति न मिल पाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-107.4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	172.56 (-) 108.69	63.87	65.87	+ 2.00	समर्पण के रूप में ₹ 108.69 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2070-114.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 140.00	0.00	0.00	0.00	₹ 140.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53.00 लाख + ₹ 87.00 लाख समर्पण के रूप में) कार्य योजना के विलंब से निर्धारण होने के कारण हुई।
2216-80.001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 140.00	140.00	0.00	(-) 140.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-60.200.0101.6072-आपदा प्रबंध संस्थान को अनुदान	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 200.00	200.00	120.00	(-) 80.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.7329- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय	मूल पुनर्वि.	299.99 (-) 154.54	145.45	80.69	(-) 64.76	समर्पण के रूप में ₹ 154.54 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-60.200.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 133.96	6.04	6.04	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 133.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-05.053.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,299.38	1,299.38	1,299.38	0.00	₹ 1,299.38 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,600.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 300.62 लाख का निवल प्रभाव था। कमी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की समय पर खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न हो पाने के कारण हुई तथा वृद्धि संभावित बचत के कारण हुई।
2235-60.200.0686- सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	मूल पुनर्वि.	10.00 200.00	210.00	92.27	(-) 117.73	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख का निधि में आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

(5) ₹ 106.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 3.00 लाख अभ्यर्पित की गई।

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055.109.4491 - सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल	150.00	150.00	47.16	(-) 102.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 10,435.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 30,020.00 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 40,020.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 10,435.09 लाख की भारी उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 10,435.08 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.109.6065- थानों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-207.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	1,080.00 (-) 594.25	485.75	485.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 594.25 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-207.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	720.00 (-) 524.17	195.83	195.83	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 524.17 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.0270-अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	3,600.00 (-) 1,275.15	2,324.85	2,324.85	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,275.15 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-207.1309-उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख के कुल प्रावधान की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-207.3680-पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 557.30	142.70	142.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 557.30 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-207.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,894.33	105.67	105.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,894.33 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-208.0101.7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	286.00 (-) 286.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 286.00 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—गृह समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-800.0101.7186- बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 735.50	64.50	64.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 735.50 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।
4055-800.0101.7346- केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 2,998.00	1.10	1.10	0.00	₹ 2,998.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,250.00 लाख + ₹ 1,748.90 लाख समर्पण के रूप में) कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने, उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधि का उपयोग न होने, संभावित बचत तथा कम खर्च के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-800.0801.1948- नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख के समस्त प्रावधान की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में विलंब, वित्त विभाग से आहरण स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति, तिमाही के अंतराल में बजट का उपयोग न होने एवं उपकरणों की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.9982- मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल दतिया	मूल पुनर्वि.	0.02 1,000.00	1,000.02	1,000.00	(-) 0.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का निधि में आवर्धन वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 04-पर्यावरण

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	22,15,01			
पूरक	सांकेतिक	22,15,01	14,21,15	(-) 7,93,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 793.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई राशि वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2215-02.106.0101.8049- मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान	मूल 100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण आबंटन प्राप्त नहीं हुआ।
2215-02.106.0701.8872- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए राज्यांश	मूल 50.00 पुनर्वि. (-) 47.15	2.85	0.00	(-) 2.85	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 47.15 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.191.0701.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी. सी.ए.)	मूल 360.00	360.00	86.40	(-) 273.60	₹ 273.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.191.0704.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी. सी.ए.)	मूल 240.00	240.00	57.60	(-) 182.40	₹ 182.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 04-पर्यावरण समाप्त

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0701.9894- बायोस्फेयर रिजर्व स्कीम	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 28.29	28.29	28.29	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.29 लाख की निधियों का आवर्धन केन्द्रांश विलंब से प्राप्त होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 05-जेल

(मुख्य शीर्ष- 2056-जेल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,91,41,05			
पूरक	50,00	4,91,91,05	4,65,26,85	(-) 26,64,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	87,50,00			
पूरक		87,50,00	54,65,65	(-) 32,84,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 05—जेल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,664.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.6712- मध्य प्रदेश जेल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना	मूल	165.89	165.89	124.36	(-) 41.53	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 0.50 लाख) की कमी/वृद्धि हुई। वृद्धि अपर्याप्त बजट आवंटन के कारण एवं कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2056-101.0101.5044- जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	275.00	275.00	108.52	(-) 166.48	₹ 166.48 लाख के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2056-102.7817- बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एकमुश्त सहायता	मूल	600.00	600.00	456.00	(-) 144.00	₹ 144.00 लाख के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 3,284.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849- जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल	1,000.00	1,000.00	266.76	(-) 733.24	₹ 733.24 लाख के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1080- खुली जेल की स्थापना	मूल	150.00	150.00	0.05	(-) 149.95	₹ 149.95 लाख के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4059-01.051.0101.6405- जेल भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	7,000.00 (-) 400.00	6,600.00	4,305.47	(-) 2,294.53	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। ₹ 2,294.53 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.2374- वर्कशॉप/बैरक का निर्माण	मूल पुनर्वि.	600.00 400.00	1,000.00	893.37	(-) 106.63	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 400.00 लाख की निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट आवंटन के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 06-वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,17,83,11,69			
पूरक	19,80,41,59	2,37,63,53,28	1,99,16,98,20	(-) 38,46,55,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				8,22,20

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,11,73,67			
पूरक	0	1,11,73,67	9,85,84	(-) 1,01,87,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,10

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,73,83,01			
पूरक	0	13,73,83,01	47,92,21	(-)13,25,90,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 1,98,041.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,84,655.08 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 822.20 लाख की राशि समर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.6357- पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल 729.85	729.85	1.55 (-) 728.30	₹ 728.30 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.9508- कर्मचारी आयोग	मूल 299.00	299.00	23.07 (-) 275.93	₹ 275.93 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2054-095.0101.6327- मध्यप्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल 1,498.76	1,498.76	473.70 (-) 1,025.06	₹ 1,025.06 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2054-095.5329- लंबित देयकों का भुगतान	मूल 1,98,300.00	1,98,300.00	0.00 (-) 1,98,300.00	₹ 1,98,300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	5563.00 (-) 250.00	5,313.00	2,087.99	(-) 3,225.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2070-800.0101.0224- अन्य व्यय	मूल	8,200.02	8,200.02	0.00	(-) 8,200.02	₹ 8,200.02 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.0101.9602- शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2070-800.9135- म.प्र. पी.आई. कंपनी को संधारण अनुदान	मूल	1,000.00	1,000.00	25.46	(-) 974.54	₹ 974.54 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.104.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	3,28,000.01	3,28,000.01	2,07,055.22	(-) 1,20,944.79	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	6,61,800.01	6,61,800.01	4,41,734.43	(-) 2,20,065.58	₹ 2,20,065.58 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.111.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	3,000.01	3,000.01	1,334.05	(-) 1,665.96	अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.115.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	50,000.01	50,000.01	32,368.10	(-) 17,631.91	अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3475-797.8094- रिजर्व फंड में हस्तांतरण तथा जमा लेखे	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पूरक	2,05,000.01 98,000.00	3,03,000.01	4,65,317.30	+ 1,62,317.29	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	3,000.01	3,000.01	8,554.98	+ 5,554.97	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.104.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	12,000.01	12,000.01	86,108.06	+ 74,108.05	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.105.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	66,000.01	66,000.01	1,51,441.64	+ 85,441.63	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.111.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	600.01	600.01	1,469.83	+ 869.82	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.115.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	60,000.01	60,000.01	76,697.59	+16,697.58	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.200.5653- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	मूल	2.00	2.00	2,509.30	+ 2,507.30	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (5) ₹ 10,187.83 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.5329-लंबित देयकों का भुगतान	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-) 10,000.00	₹ 10,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	13.50	13.50	0.00	(-) 13.50	₹ 13.50 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.104.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	200.01	200.01	30.34	(-) 169.67	₹ 169.67 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.106.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	500.01	500.01	654.81	+ 154.80	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2071-01.106.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	80.01	80.01	164.29	+ 84.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

(8) ₹ 1,32,590.80 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6075.800.6787- गांटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	79,312.99	79,312.99	0.00	(-) 79,312.99	₹ 79,312.99 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्डर के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल	55,000.00	55,000.00	4,886.00	(-) 50,114.00	₹ 50,114.00 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,13,49,84			
पूरक	2,92,13,82	21,05,63,66	18,67,44,84	(-) 2,38,18,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				62,03,56

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,00,01			
पूरक	0	18,00,01	1,54,59	(-) 16,45,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				13,76,91

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 23,818.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 29,213.82 लाख का अनुपूरक अनुदान सितंबर 2022 (₹ 19,658.81 लाख) में प्राप्त किया, आधिक्य सिद्ध हुआ जबकि दिसंबर 2022 (₹ 585.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 8,970.01 लाख) में अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 23,818.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 6,203.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.102.2455- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	पूरक	110.86	110.86	0.00	(-) 110.86	सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-02.102.2455- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	मूल पूरक	7,588.00 1,728.89	9,316.89	220.97	(-) 9,095.92	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-03.001.0801.9942- डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकरण कार्यक्रम	पूरक	585.00	585.00	0.00	(-) 585.00	सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2030-03.001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,030.00 (-) 213.00	817.00	98.94	(-) 718.06	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 213.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2039-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	1,496.58	1,496.58	326.01	(-) 1,170.57	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.0101.1470- जिला कार्यपालिका स्थापना	मूल पुनर्वि.	17,616.44 150.00	17,766.44	14,223.77	(-) 3,542.67	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 150.00 लाख की निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	258.00	258.00	35.89	(-) 222.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2039-800.4034- विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 2.00	98.01	0.00	(-) 98.01	₹ 2.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2043-001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 291.84	108.16	108.16	0.00	₹ 291.84 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 200.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 91.84 लाख समर्पण) विभागीय आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु नयी योजना में पुनर्विनियोजन एवं वास्तविक व्यय पश्चात् शेष राशि के कारण हुई।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2216-05.053.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 143.06	143.06	143.06	0.00	₹ 143.06 लाख का निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 56.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विभागीय आवासीय भवनों की मरम्मत के कारण एवं कमी वास्तविक व्यय पश्चात् शेष राशि के कारण हुई।

(5) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि.

पंचायत, भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि का गठन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 74 एवं 75 के तहत किया गया था। प्रत्येक भूमि पर लगाया या एकत्र किया जाने वाला भू-राजस्व उपकर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर सरकारी भूमि के धारक और पट्टे पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति रूपये या उसके हिस्से की दर से और उपहार, बिक्री और बंधक विलेख के समय अचल संपत्ति के मूल्य पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। एक प्रतिशत की दर से बंधक विलेख राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत सरकार की प्राप्ति जमा की जाएगी। इस निधि का उपयोग जनपद, ग्राम और जिला पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन और

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर समाप्त

भत्ते तथा कार्यालय व्यय के भुगतान के लिए किया जाता है। उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को मुख्य शीर्ष "0030-स्टाम्प-गैर न्यायिक-800-अन्य प्राप्तियां-0035-एम.पी. पंचायत अधिनियम के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क और राशि के तहत राजस्व में जमा किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आय के बराबर राशि राज्य के समेकित कोष में मुख्य शीर्ष "2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प-गैर न्यायिक-797-अंतरण के तहत ली जाती है। आरक्षित निधि और जमा खाते 6002-में/से म.प्र. पंचायत अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का म.प्र. पंचायत भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि में इस अनुदान के तहत अंतरण और मुख्य शीर्ष 8229-विकास और कल्याण निधि-200 में जमा किया गया। अन्य विकास एवं कल्याण निधि-पंचायत भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि।

1 अप्रैल 2022 को निधि का अथशेष ₹ 1,78,992.49 लाख था। वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि जमा नहीं की गई और निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 को निधि लेखे में ₹ 1,78,992.49 लाख जमा किए गए थे।

निधि का लेन-देन के लेखे वित्तीय लेखे 2022-23 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में शामिल किए गए हैं।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1,645.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,376.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1267- वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,376.91	123.09	123.09	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,376.91 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7382- जिला/उप-पंजीयक कार्यालय-भवन निर्माण/ विस्तार	मूल	300.00	300.00	31.50	(-) 268.50	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	74,44,52,15			
पूरक	1,36,24,01	75,80,76,16	52,18,26,41	(-) 23,62,49,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,69,47,77

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाए गए व्यय (₹ 52,18,26,40,732) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से दिनांक 04.05.2022 को कुल स्वीकृत अग्रिम राशि ₹ 89,06,00,000 में से ₹ 89,01,00,000 की राशि का व्यय भी सम्मिलित है यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति कर ली गयी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,92,44			
पूरक	89,06,00	92,98,44	89,82,94	(-) 3,15,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,22,01,05			
पूरक	0	14,22,01,05	5,53,28,27	(-) 8,68,72,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				7,21,10,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 13,624.01 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,36,249.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,26,947.77 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-001-9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 355.00	145.00	0.00	(-) 145.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 355.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2029-103.0101.7167- एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल	105.00	105.00	0.00	(-) 105.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2058-001-9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82.00 लाख + ₹ 18.00 लाख समर्पण के रूप में) अंशतः बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.101.6422-सूखा से सम्बंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	661.87 (-) 660.07	1.80	1.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 660.07 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.102.6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 1,090.42	9.58	9.58	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,090.42 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	55,000.00 (-) 18,902.20	36,097.80	36,099.02	+ 1.22	समर्पण के रूप में ₹ 18,902.20 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2245-02.122.0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-05.101.1301.9597-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा शमन निधि (एस. डी.एम.एफ.)	मूल	99,500.00	99,500.00	25,480.00	(-) 74,020.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2245-80.001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।
2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पूरक पुनर्वि.	10,500.00 13,624.00 (-) 14,459.30	9,664.70	9,664.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 14,459.30 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.6374- आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार	मूल पुनर्वि.	105.00 (-) 105.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 105.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।
2245-80.800.5504- राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	65,318.90 (-) 46,177.17	19,141.73	19,141.73	0.00	₹ 46,177.17 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख + ₹ 43,177.17 लाख समर्पण के रूप में) अंशतः बिलों की प्राप्ति एवं आवश्यकता न होने के कारण हुई।
2245-80.800.8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	मूल पुनर्वि.	525.00 (-) 525.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 525.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.800.7250- वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति	मूल पुनर्वि.	210.00 74.06	284.06	284.06	0.00	₹ 74.06 लाख का निधि में आर्वाधन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 25.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वन्य पशुओं द्वारा फसल को क्षति के मामले में राहत राशि के वितरण के कारण तथा कमी व्यय न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

(5) अकाल राहत कोष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)
2245-05-101-0474-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.00	0.00	0.00
यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।			
वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।			

31 मार्च 2023 को शेष की स्थिति निम्नानुसार थी:-				(रु. लाख में)
विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-अकाल राहत निधि	(-) 592.81	0.00	0.00	(-) 592.81
(2) 102-अकाल राहत कोष निवेश खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	(-) 592.81	0.00	0.00	(-) 592.81
निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2022-23 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।				

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष:-

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देश के साथ) "आपदा राहत कोष" के स्थान पर 14 दिसंबर 2010 से लागू हुआ। जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक कार्यरत था। सभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमला इत्यादि इस योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक चालू थी। वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित निधि में ₹ 2,04,312.00 लाख का योगदान था जिसमें 75 प्रतिशत (₹1,52,880.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया गया जो शुरुआत में "1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-07-वित्त आयोग अनुदान-104-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान" के तहत जमा किया गया एवं बकाया 25 प्रतिशत (₹ 50,960.00 लाख) का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ब्याज के रूप में ₹ 472.00 लाख मुख्य शीर्ष 2245-80-102 "विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध" से अंतरित किये गये कुल योगदान को "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" शीर्ष के तहत निधि में स्थानांतरित किया जाना था या यदि शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक आपदा अव्ययित सीमान्त धन निधि" के तहत निधि का निवेश करना संभव नहीं है, इस उद्देश्य हेतु इस अनुदान में मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा खातों में हस्तांतरण-आपदा राहत" के अंतर्गत प्रावधान बनाने के पश्चात् इस अनुदान में राहत अथवा सहायता पर किया गया व्यय शुरु में ही प्रावधान के विरुद्ध डेबिट किया जाता है एवं तत्संबंधित वर्ष के खातों के बंद होने से पूर्व समान-राशि निधि में अंतरित कर दी जाती है। 01 अप्रैल 2022 की स्थिति में ₹ 1,12,179.00 लाख (क्रेडिट) शेष था। वर्ष के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश ₹ 1,52,880.00 लाख तथा राज्यांश ₹ 50,960.00 लाख (कुल ₹ 2,03,840.00 लाख) मुख्य शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधि में हस्तांतरण" राज्य आपदा राहत निधि से एवं ब्याज ₹ 472.00 लाख मुख्य शीर्ष 2245-80-102 "विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध" से कुल ₹ 2,04,312.00 लाख मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंतरित किये गये। शेष में से वित्त वर्ष 2021 से संबंधित ₹ 48,540.00 लाख की राशि राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति आदेशानुसार मुख्य शीर्ष 8121-130 राज्य आपदा शमन निधि में अंतरित की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 85,400.53 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2023 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹ 1,82,551.37 लाख का क्रेडिट शेष था। जब निधि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2022-23 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 86,872.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 72,110.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.1901.6664- तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	12,248.80 (-) 65.21	12,183.59	4,228.46	(-) 7,955.13	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.21 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त वर्ष में कम व्यय के कारण हुई।
4059-01.051.1902.6664- तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	4,618.40	4,618.40	1,150.92	(-) 3,467.48	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4059-01.051.1903.6664- तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	3,212.80	3,212.80	980.68	(-) 2,232.12	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4070-800.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	108.00	108.00	0.00	(-) 108.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4250-101.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पुनर्वि.	89,000.01 (-) 49,847.74	39,152.27	39,152.27	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 49,847.74 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।
4250-101.7667- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	15,730.00 (-) 11,032.91	4,697.09	4,697.09	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 11,032.91 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4250-101.8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	मूल पुनर्वि.	10,500.00 (-) 10,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 10,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08— भू—राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-800.6436- आपदा से सम्बंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण ₹ 150.00 लाख के प्रावधान की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.800.1509- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	0.01 65.21	65.22	65.21	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.21 लाख की प्रत्याशित बचत विकास कार्यों हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात् दिए गये मुआवजे के कारण हुई।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष 2810—अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	61,85,75			
पूरक	0	61,85,75	53,75,06	(-) 8,10,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 810.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2810-105.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल 60.00	60.00	0.00	(-) 60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2810-105.0101.2304- निर्देशन और प्रशासन	मूल 201.20	201.20	90.06	(-) 111.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-105.0101.5683- उद्योग संवर्धन नीति 2014 में पूंजी अनुदान	मूल	95.00	95.00	0.00	(-) 95.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2810-105.0101.5694- उद्योग संवर्धन नीति 2014 में ब्याज अनुदान	मूल	62.00	62.00	0.00	(-) 62.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2810-105.0101.9543- ऊर्जा साक्षरता अभियान	मूल	600.00	600.00	444.00	(-) 156.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2810-105.0101.9544- मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति अंतर्गत सुविधाएँ	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 10—वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़क तथा सेतु, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,95,37,10			
पूरक	13,71,32	20,09,08,42	17,10,72,20	(-) 2,98,36,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,43,34

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	82,50			
पूरक	80,00	1,62,50	1,39,34	(-) 23,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,98,79,54			
पूरक	8,00,00	14,06,79,54	12,86,69,23	(-) 1,20,10,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 (₹ 447.09 लाख) दिसंबर 2022 (₹ 924.19 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 0.04 लाख) में प्राप्त ₹ 1,371.32 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 29,836.22 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 243.34 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.004.0101.2330- वन मानचित्रों का डिजिटাইजेशन	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 500.00	100.00	68.19	(-) 31.81	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,08,631.14 666.73	1,09,297.87	94,434.20	(-) 14,863.67	₹ 666.73 लाख का निधि का आर्वाधन पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 806.73 लाख की वृद्धि एवं ₹ 140.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2022 अन्य क्रोनिक बीमारी एवं कोविड-19 से पीड़ित कर्मचारियों के लंबित देयकों के भुगतान, स्थायी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, पेट्रोल के देयकों का भुगतान एवं अंतरित अनुदान का भुगतान के कारण वृद्धि हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0102.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल	8,557.34	8,557.34	5,951.19	(-) 2,606.15	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.101.0103.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल	8,491.40	8,491.40	6,586.27	(-) 1,905.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.190.0701.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	798.00	798.00	0.00	(-) 798.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.190.0702.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	188.00	188.00	0.00	(-) 188.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0703.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	138.00	138.00	0.00	(-) 138.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0704.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	120.00	120.00	0.00	(-) 120.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.190.0705.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	152.00	152.00	0.00	(-) 152.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-01.190.0706.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	92.00	92.00	0.00	(-) 92.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0701.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	1,335.00 (-) 159.32	1,175.68	131.07	(-) 1,044.61	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 159.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-02.110.0702.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	0.01 79.66	79.67	76.98	(-) 2.69	₹ 79.66 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0703.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	80.00 182.71	262.71	262.71	0.00	₹ 182.71 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0703.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	0.01 79.66	79.67	76.98	(-) 2.69	₹ 79.66 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0705.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	0.01 53.10	53.11	51.87	(-) 1.24	₹ 53.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0706.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	60.00 147.58	207.58	207.58	0.00	₹ 147.58 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2406-02.110.0706.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	0.01 53.10	53.11	51.87	(-) 1.24	₹ 53.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (5) ₹ 23.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	पूरक	80.00	80.00	62.43	(-) 17.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 12,010.31 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0702.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	510.60	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 621.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	110.40				
	पुनर्वि.	(-) 621.00				
4406-01.101.0705.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	340.40	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 414.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	73.60				
	पुनर्वि.	(-) 414.00				
4406-01.800.9664- केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण	मूल	18,000.00	15,307.60	12,979.94	(-) 2,327.66	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,692.40 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत एवं अत्यधिक प्रावधान के कारण हुई जबकि अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पुनर्वि.	(-) 2,692.40				
4406-01.800.9667- केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	मूल	63,987.01	63,987.01	56,996.62	(-) 6,990.39	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0703.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	355.20	1,300.00	1,300.00	0.00	₹ 868.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	76.80				
	पुनर्वि.	868.00				

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0706.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	236.80	866.67	866.67	0.00	₹ 578.67 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	51.20				
	पुनर्वि.	578.67				
4406-01.102.0102.6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	मूल	1,200.00	2,314.50	1,990.95	(-) 323.55	₹ 1,114.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन पौधों के संधारण हेतु लंबित देयकों के भुगतान, एम.पी. राज्य वन विकास कोर्पोरेशन से प्राप्त सागौन रूट शूट का लंबित भुगतान एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास को वर्ष 2022-23 हेतु देय भुगतान के कारण हुआ जबकि अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
	पुनर्वि.	1,114.50				

अनुदान संख्या 11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,51,77,91			
पूरक	5,50,00,00	18,01,77,91	14,93,41,16	(-) 3,08,36,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,08,36,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25			
पूरक	0	25	0	(-) 25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				25

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,45,00,02			
पूरक	0	9,45,00,02	9,45,00,00	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 30,836.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 30,836.59 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.102.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	610.00 (-) 610.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2852-80.102.0102.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	230.00 (-) 230.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2852-80.102.0103.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	160.00 (-) 160.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2852-80.800.0101.2123- निवेश प्रोत्साहन योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,20,000.00 55,000.00 (-) 31,400.00	1,43,600.00	1,43,600.00	0.00	₹ 31,400.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 36,400.00 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,361.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 29,039.00 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। बजट शीर्ष में लंबित देनदारियों की आवश्यकताओं एवं वर्तमान में दावों के लंबित न रहने के कारण कमी हुई थी जबकि औद्योगिक इकाइयों की लंबित देनदारियों के निपटान के कारण वृद्धि हुई थी।

अनुदान संख्या 11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.5531- डेस्टिनेशन म.प्र. इनवेस्टमेन्ट ड्राइव	मूल पुनर्वि.	1,800.00 2,361.00	4,161.00	4,161.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,361.00 लाख की निधि के आवर्धन का कारण बजट शीर्ष में लंबित देनदारियों की आवश्यकताओं के लिए था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801—बिजली, 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,57,19,16			
पूरक	69,84,44,00	1,69,41,63,16	1,67,16,62,96	(-) 2,25,00,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	64,76,94,06			
पूरक	1	64,76,94,07	17,05,22,77	(-) 47,71,71,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 22,500.20 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 6,98,444.00 लाख का अनुपूरक अनुदान सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 75,000.00 लाख), दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 3,50,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 में प्राप्त किया गया (₹ 2,73,444.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

- (2) ₹ 22,500.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2022 को ₹ 4,12,904.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 50,000.00 लाख राशि निधि में जमा की गई एवं निधि से ₹ 3,700.00 लाख राशि निधि में से व्यय की गई। 31 मार्च 2023 को निधि में ₹ 4,59,204.62 लाख का अंतशेष था।

इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2022-23 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 4,77,171.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.0101.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	1,76,700.00	1,76,700.00	0.00	(-) 1,76,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0102.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	62,700.00	62,700.00	0.00	(-) 62,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0103.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	45,600.00	45,600.00	0.00	(-) 45,600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0701.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	मूल	93,000.00	93,000.00	0.00	(-) 93,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4801-05.190.1901.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	मूल	55,800.00	55,800.00	0.00	(-) 55,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.1201.0700-ग्रीन कोरीडोर	मूल	0.01	0.01	1,695.70	+ 1,695.69	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,695.70 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.0704.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	6,200.00	+ 6,200.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 6,200.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-190.0705.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	2,200.00	+ 2,200.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,200.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-190.0706.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	1,600.00	+ 1,600.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,600.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-190.1901.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	9,300.00	+ 9,300.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9,300.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-190.1902.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	3,300.00	+ 3,300.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,300.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-190.1903.9542-रीवैम्ब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	2,400.00	+ 2,400.00	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,400.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6801-205.1201.0700-ग्रीन कोरीडोर	मूल	0.01	0.01	2,217.48	+ 2,217.47	इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,217.47 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2702-लघु सिंचाई, 2801-बिजली, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,56,90,34,00			
पूरक	67,10,50,50	2,24,00,84,50	1,91,96,04,78	(-) 32,04,79,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				32,04,40,72

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,00			
पूरक	0	45,00	22,81	(-) 22,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				22,19

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00,01			
पूरक	10,00,00	25,00,01	25,00,00	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 3,20,479.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2022 (₹ 1,10,000.00 लाख), दिसंबर 2022 में (₹ 2,580.01 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 5,35,250.49 लाख) प्राप्त किया गया ₹ 6,71,050.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,20,479.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 3,20,440.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	57,135.49 (-) 17,780.64	39,354.85	39,324.28	(-) 30.57	समर्पण के रूप में ₹ 17,780.64 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-102.0101.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	पूरक पुनर्वि.	21,700.00 (-) 21,700.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 11,700.00 लाख) योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-102.0102.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	पूरक पुनर्वि.	7,700.00 (-) 7,700.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-102.0103.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	पूरक पुनर्वि.	5,600.00 (-) 5,600.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-102.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	14,209.62 (-) 11,261.03	2,948.59	2,948.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 11,261.03 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0702.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	5,312.99 (-) 4,384.99	928.00	928.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,384.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-102.0703.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	3,695.99 (-) 2,849.48	846.51	846.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,849.48 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-102.0704.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	9,473.08 (-) 7,507.35	1,965.73	1,965.73	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,507.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-102.0705.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	3,542.01 (-) 2,923.34	618.67	618.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,923.34 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-102.0706.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	2,463.99 (-) 1,899.66	564.33	564.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,899.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-105.0701.1227- परंपरागत कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,663.21 (-) 1,360.31	302.90	302.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,360.31 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-105.0701.1229- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	393.37 1,405.76 (-) 1,682.99	116.14	116.14	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,682.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-108.0704.7500-नेशनल आईल सीड एंड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	1,506.80 (-) 1,176.96	329.84	329.84	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,176.96 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-109.0101.9529-मांग आधारित कृषि हेतु कृषि विविधीकरण योजना	मूल पुनर्वि.	1,240.00 (-) 1,221.70	18.30	18.30	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,221.70 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित संगठन के लिए जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-109.0101.9530-जैविक खेती को बढ़ावा	मूल पुनर्वि.	1,860.00 (-) 1,810.13	49.87	49.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,810.13 लाख की प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-109.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद हेतु संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	620.00 (-) 620.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 620.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-109.0103.9531-एक जिला एक उत्पाद हेतु संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	210.00 (-) 210.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 210.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0101.9532-मध्य प्रदेश की विशिष्ट फसलों/किसमों की जी.आई. टैग योजना	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 310.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0101.9533-म.प्र. राज्य मिलेट मिशन	मूल पुनर्वि.	620.00 (-) 620.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 620.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-109.0103.9533-म.प्र. राज्य मिलेट मिशन	मूल पुनर्वि.	210.00 (-) 210.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 210.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0101.9534-कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन	मूल पुनर्वि.	620.00 (-) 620.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 620.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0103.9534- कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन	मूल पुनर्वि.	210.00 (-) 210.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 210.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0101.9537- कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 310.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	682.00 (-) 682.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 682.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत योजना कार्यान्वयन के लंबित आदेश के कारण हुई।
2401-109.0103.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	231.00 (-) 231.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 231.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-109.0701.7494- सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	3,185.26 (-) 1,652.02	1,533.24	1,533.24	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,652.02 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-109.0704.7494- सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	2,123.42 (-) 1,232.67	890.75	890.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,232.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध हेतु जारी दिशा निर्देशों के कारण हुई।
2401-113.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,700.00 (-) 2,257.29	442.71	442.71	0.00	₹ 2,257.29 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 435.84 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,821.45 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त राशि का एसएनए लेखा में आहरण करने के कारण हुई।
2401-113.0701.7500- नेशनल आईल सीड एंड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	210.00 (-) 210.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 210.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-113.0701.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	732.00 (-) 732.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 732.00 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष में केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-113.0702.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	276.00 (-) 276.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 276.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-113.0704.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	488.00 (-) 488.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 488.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-113.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,800.00 (-) 1,504.86	295.14	295.14	0.00	₹ 1,504.86 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.56 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,214.30 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से प्राप्त राशि का एसएनए लेखा में आहरण करने के कारण हुई।
2408-01.102.7847- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,50,000.00 (-) 1,19,982.22	30,017.78	30,017.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,19,982.22 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न करने के कारण हुई।
2801-06.800.0103.5381- अटल कृषि ज्योति योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	77,200.00 63,200.00 (-) 44,019.00	96,381.00	96,381.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 44,019.00 लाख की प्रत्याशित बचत ऊर्जा विभाग द्वारा व्यय न करने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	469.83 1,269.93	1,739.76	1,739.76	0.00	₹ 1,269.93 लाख की निधि का आर्वधन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,338.01 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 68.08 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की उपलब्धता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0702.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	165.44 567.11	732.55	732.55	0.00	₹ 567.11 लाख के निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 643.91 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 76.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की उपलब्धता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-102.0703.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	150.97 446.42	597.39	597.39	0.00	₹ 446.42 लाख के निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 466.66 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 20.24 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की उपलब्धता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-105.0101.6673- खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,721.86 9,896.69	11,618.55	11,618.55	0.00	₹ 9,896.69 लाख के निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 103.31 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की उपलब्धता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी

(मुख्य शीर्ष— 2059—लोक निर्माण कार्य, 2403—पशुपालन, 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,32,99,58			
पूरक	6,12,43	14,39,12,01	10,98,25,41	(-) 3,40,86,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,88			
पूरक	0	13,88	4,53	(-) 9,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,33,25			
पूरक	0	10,33,25	8,18,27	(-) 2,14,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 612.43 लाख का अनुपूरक अनुदान सितंबर 2022 में (₹ 312.43 लाख) एवं दिसंबर 2022 में (₹ 300.00 लाख) प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 34,086.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.0702.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	303.60	303.60	0.00	(-) 303.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-001.0705.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	202.40	202.40	0.00	(-) 202.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0101.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	9,150.00 (-) 3,849.31	5,300.69	2,155.10	(-) 3,145.59	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,849.31 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0102.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	3,450.00 (-) 690.02	2,759.98	1,781.58	(-) 978.40	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 690.02 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0103.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,400.00 (-) 480.00	1,920.00	784.54	(-) 1,135.46	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 480.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0701.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	3,261.13	3,261.13	0.00	(-) 3,261.13	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0702.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	449.38	449.38	0.00	(-) 449.38	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0703.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	921.12	921.12	0.00	(-) 921.12	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0704.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	2,174.12	2,174.12	0.00	(-) 2,174.12	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0705.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	299.62	299.62	0.00	(-) 299.62	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-101.0706.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	614.11	614.11	0.00	(-) 614.11	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-102.0101.1108- गहन पशु परियोजना	मूल पुनर्वि.	47,307.67 (-) 6.22	47,301.45	38,643.79	(-) 8,657.66	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 6.22 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के लंबित न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-102.0103.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल	9,134.70	9,134.70	7,857.68	(-) 1,277.02	प्रावधान में ₹ 99.00 लाख के पुनर्विनियोजन के द्वारा समान राशि की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों, स्टेशनरी एवं पेट्रोल जैसे कार्यालयीन खर्च के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-107.0701.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	514.80	514.80	2.50	(-) 512.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-107.0703.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	388.22	388.22	0.00	(-) 388.22	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-107.0704.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	343.20	343.20	0.00	(-) 343.20	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-107.0706.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	140.80	140.80	0.00	(-) 140.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,562.00 (-) 198.15	2,363.85	421.92	(-) 1,941.93	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 198.15 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	966.00	966.00	95.68	(-) 870.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-800.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	672.00	672.00	73.79	(-) 598.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-800.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,708.00 (-) 853.10	854.90	281.28	(-) 573.62	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 853.10 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से रिलीज अप्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-800.0705.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	644.00 (-) 580.00	64.00	63.79	(-) 0.21	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 580.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज अप्राप्त होने के कारण हुई।
2403-800.0706.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	448.00 (-) 112.00	336.00	49.19	(-) 286.81	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से रिलीज अप्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.0101.5418- सार्टेड सेक्सड सीमेन परियोजना	मूल पुनर्वि.	0.01 2,019.31	2,019.32	2,019.31	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,019.31 लाख की राशि के निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-800.0101.2087- आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल पुनर्वि.	500.20 1,830.00	2,330.20	2,330.20	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,830.00 लाख की राशि के निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-800.0102.2087- आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल पुनर्वि.	188.60 690.02	878.62	878.60	(-) 0.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 690.02 लाख की राशि के निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2403-800.0103.2087- आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल पुनर्वि.	131.20 480.00	611.20	611.20	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 480.00 लाख की राशि के निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 241.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0101.9588- पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल	530.70	530.70	461.60	(-) 69.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र	मूल	150.00	150.00	62.72	(-) 87.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,51,08			
पूरक	34,50	30,85,58	16,30,43	(-) 14,55,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				64,55

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,66,07			
पूरक	0	5,66,07	3,08,87	(-) 2,57,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 34.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,455.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 64.55 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0103.4049- विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता	मूल पूरक	100.00 सांकेतिक	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	1,689.39	1,689.39	822.50	(-) 866.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	175.00	175.00	5.57	(-) 169.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 257.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0102.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	166.07	166.07	111.80	(-) 54.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	125.00	125.00	35.00	(-) 90.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,50,10,15			
पूरक	4,00,00	2,54,10,15	1,20,98,81	(-) 1,33,11,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	2,78	(-) 7,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,311.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0101.9613- मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना	मूल 3,050.00	3,050.00	238.09 (-) 2,811.91	₹ 2,811.91 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध तथा वास्तविक व्यय के कारण हुई।
2405-101.0102.9613- मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना	मूल 1,150.00	1,150.00	114.16 (-) 1,035.84	₹ 1,035.84 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध तथा वास्तविक व्यय के कारण हुई।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0103.9613- मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना	मूल	800.00	800.00	40.02	(-) 759.98	₹ 759.98 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध तथा वास्तविक व्यय के कारण हुई।
2405-101.0701.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	4,392.00	4,392.00	2,787.37	(-) 1,604.63	₹ 1,604.63 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0702.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	1,656.00	1,656.00	235.78	(-) 1,420.22	₹ 1,420.22 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0703.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	1,152.00	1,152.00	154.49	(-) 997.51	₹ 997.51 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0704.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	2,928.00	2,928.00	1,990.27	(-) 937.73	₹ 937.73 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2405-101.0705.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	1,104.00	1,104.00	166.54	(-) 937.46	₹ 937.46 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2405-101.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	पूरक	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,03,34,11			
पूरक	1,26,00,00	10,29,34,11	8,41,13,24	(-) 1,88,20,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,88,14,54

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,20,12,36			
पूरक	0	10,20,12,36	7,50	(-) 10,20,04,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10,20,04,85

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 (₹ 3,800.00 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 8,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,600.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 18,820.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 18,814.54 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.2352- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण	पूरक पुनर्वि.	3,800.00 (-) 3,800.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 3,800.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2023)।
2425-107.0103.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	1,200.00 (-) 1,200.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हुई।
2425-107.0103.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,600.00 (-) 5,812.01	3,787.99	3,787.99	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,812.01 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हुई।
2425-108.2352- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,569.33	430.67	0.00	(-) 430.67	₹ 1,569.33 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 970.00 लाख + ₹ 599.33 लाख समर्पण के रूप में) आवश्यकता न होने के कारण हुई तथा अंतिम बचत हेतु कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,098.00 (-) 1,098.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 1,098.00 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	414.00 (-) 414.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 414.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-800.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	288.00 (-) 288.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 288.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-800.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	732.00 (-) 732.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 732.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2425-800.0705.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	276.00 (-) 276.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 276.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2425-800.0706.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	192.00 (-) 192.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 192.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत कृषि विभाग द्वारा आहरण हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2425-800.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	589.28 (-) 589.28	0.00	0.00	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 589.28 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0704.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 601.40	601.40	868.42	+ 267.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 601.40 लाख का निधियों में आर्वाधन एपेक्स बैंक द्वारा की गयी मांग के विरुद्ध कम बजट आवंटन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0705.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 213.40	213.40	308.15	+ 94.75	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 213.40 लाख का निधियों में आर्वाधन एपेक्स बैंक द्वारा की गयी मांग के विरुद्ध कम बजट आवंटन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2425-107.0706.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 155.20	155.20	224.11	+ 68.91	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.20 लाख का निधियों में आर्वाधन एपेक्स बैंक द्वारा की गयी मांग के विरुद्ध कम बजट आवंटन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 1,02,004.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,02,004.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	80,000.00 (-) 80,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 80,000.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4425-107.0102.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	11,500.00 (-) 11,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 11,500.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4425-107.0103.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	8,500.00 (-) 8,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	980.23 (-) 980.23	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 980.23 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
6425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	982.12 (-) 982.12	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 982.12 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार तथा कौशल विकास)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,31,69,41			
पूरक	9,36,08,75	18,67,78,16	17,93,54,60	(-) 74,23,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				69,07,65

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00			
पूरक	0	7,00	0	(-) 7,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 7,423.56 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 93,608.75 लाख (सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 30,000.00 लाख, दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 8.75 लाख एवं मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 63,600.00 लाख) का प्राप्त किया गया, अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,423.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 6,907.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) ₹ 7,423.56 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211—परिवार कल्याण, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	94,72,28,43			
पूरक	16,76,89,64	1,11,49,18,07	98,75,56,12	(-) 12,73,61,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	40,00			
पूरक	0	40,00	19,47	(-) 20,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,07,17,49			
पूरक	1,18,60,66	10,25,78,15	5,50,51,97	(-) 4,75,26,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,27,361.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 1,67,689.64 लाख (दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 23,906.97 लाख) का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,43,782.67 लाख अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,27,361.95 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.001.4065-	पूरक	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
विशेष अवसरों पर प्रचार						
2210-01.001.7660-	पूरक	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन						
2210-01.110.0101.7659-	मूल	6,100.00	6,100.00	1,664.80	(-) 4,435.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन						
2210-01.110.0102.7659-	मूल	2,300.00	2,300.00	685.16	(-) 1,614.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन						
2210-01.110.0102.7892-	मूल	443.40	443.40	176.83	(-) 266.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
चिकित्सा गारंटी योजना						
2210-01.110.0103.7659-	मूल	1,600.00	1,600.00	233.46	(-) 1,366.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन						

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0701.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर. एच.एम.)	मूल पुनर्वि.	1,42,740.01 39,650.00	1,82,390.01	1,22,816.43	(-) 59,573.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0702.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर. एच.एम.)	मूल पुनर्वि.	53,820.01 14,950.00	68,770.01	44,503.49	(-) 24,266.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0703.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	पूरक	150.00	150.00	75.00	(-) 75.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.110.0705.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	पूरक	133.34	133.34	66.67	(-) 66.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.110.0706.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	पूरक	100.00	100.00	50.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.110.1301.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल पूरक	58,600.00 31,060.00	89,660.00	31,059.92	(-) 58,600.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.1302.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल पूरक	800.00 634.00	1,434.00	629.00	(-) 805.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.110.1303.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल पूरक	600.00 506.00	1,106.00	484.00	(-) 622.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-05.105.0102.2502- परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	मूल	449.40	449.40	53.30	(-) 396.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-06.003.0101.4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	मूल	120.45	120.45	44.76	(-) 75.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.101.0101.9585- राज्य हीमोग्लोबिनो पैथी मिशन	मूल	963.76	963.76	0.00	(-) 963.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-06.102.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	122.00	122.00	0.00	(-) 122.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल पूरक	10,076.19 49.30	10,125.49	12,036.86	+ 1,911.37	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.001.0103.7834- स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था	मूल	973.12	973.12	1,271.44	+ 298.32	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-01.110.0703.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम.)	मूल पूरक	19,440.01 10,400.00	29,840.01	66,686.00	+ 36,845.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2210-01.110.0706.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम.)	मूल	12,960.01	12,960.01	24,732.86	+ 11,772.85	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2210-03.103.0101.5507- मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	मूल पुनर्वि.	1,603.38 500.00	2,103.38	1,988.35	(-) 115.03	₹ 500.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-03.103.0103.7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल पूरक	949.54 5.90	955.44	1,134.80	+ 179.36	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-03.197.0103.5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	1,062.97	1,062.97	1,193.46	+ 130.49	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2211-198.0802.0621- उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	9,646.64	9,646.64	10,887.93	+ 1,241.29	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (5) ₹ 20.53 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल	40.00	40.00	19.47	(-) 20.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 11,860.66 लाख की राशि का सितंबर 2022 (₹ 356.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 11,504.66 लाख) में प्राप्त अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 47,526.18 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.001.0102.7835- स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	मूल	2,449.00	2,449.00	478.62	(-) 1,970.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0701.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल पूरक	6,054.00 1,363.00	7,417.00	3,114.00	(-) 4,303.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4210-01.110.0704.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल पूरक	4,036.00 908.33	4,944.33	2,076.00	(-) 2,868.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.1302.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	7,400.00	7,400.00	0.00	(-) 7,400.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4210-01.110.1303.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4210-02.104.1401.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल	3,148.16	3,148.16	308.79	(-) 2,839.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.104.1403.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल	1,851.84	1,851.84	257.43	(-) 1,594.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4210-04.107.0102.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	मूल	50.19	50.19	0.00	(-) 50.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पूरक	5,477.39 2,500.00	7,977.39	9,932.74	+ 1,955.35	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0102.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	1,238.19	1,738.19	2,282.66	+ 544.47	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	500.00				
4210-01.110.0103.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	2,122.53	4,622.53	6,942.59	+ 2,320.06	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	2,500.00				
4210-02.104.0101.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	5,293.64	5,793.64	6,458.30	+ 664.66	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	500.00				
4210-02.104.0102.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	5,892.85	6,192.85	6,892.70	+ 699.85	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	300.00				

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष—2215—जलपूर्ति तथा सफाई, 3604—पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,58,67,94			
पूरक	1,51,00,00	11,09,67,94	9,91,98,37	(-) 1,17,69,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,25,00			
पूरक	0	3,25,00	1,05	(-)3,23,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	77,81,52,44			
पूरक	20,00,00	78,01,52,44	67,28,35,45	(-) 10,73,16,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				70,13,14

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 11,769.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 15,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 11,769.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	667.00	667.00	139.89	(-) 527.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2215-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	4,200.44	4,200.44	3,484.74	(-) 715.70	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 40.00 लाख प्रत्येक) की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि लंबित चिकित्सा बिलों एवं कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0102.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल	683.94	683.94	401.82	(-) 282.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0101.8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल पूरक	1,400.00 9,362.00	10,762.00	8,051.20	(-) 2,710.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2215-01.102.0103.2219- नलकूपों (हैंड पंपों) का अनुरक्षण	मूल	2,000.00	2,000.00	1,782.89	(-) 217.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-196.0101.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	2,400.00	2,400.00	1,482.15	(-) 917.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-196.0102.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	960.00	960.00	627.70	(-) 332.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-196.0103.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	640.00	640.00	436.76	(-) 203.24 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(4) उचंत लेन देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2022-23 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अंतर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

(i) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(ii) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम- इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(iv) कार्यशाला उचंत- किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उप शीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-				
विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे +जमा (-)
(लाख ₹ में)				
2215—जल पूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-) 4,410.17	0.00	0.00	(-) 4,410.17
(ii) भण्डार	+ 943.73	0.00	0.00	+ 943.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 20,309.20	0.00	0.00	+ 20,309.20
योग	+ 16,842.76	0.00	0.00	+ 16,842.76

प्रभारित

- (5) ₹ 323.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल	300.00	300.00	1.05	(-) 298.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल	25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 2,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 1,07,316.99 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 7,013.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215.01.001.0101.9551- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	18,300.00 (-) 8,250.00	10,050.00	1.80	(-) 10,048.20	₹ 8,250.00 लाख के प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215.01.001.0102.9551- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	6,600.00 (-) 2,300.00	4,300.00	0.00	(-) 4,300.00	₹ 2,300.00 लाख के प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215.01.001.0103.9551- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	5,100.00 (-) 1,600.00	3,500.00	0.00	(-) 3,500.00	₹ 1,600.00 लाख के प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.0701.5468- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	1,95,300.00	1,95,300.00	1,65,377.33	(-) 29,922.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.0702.5468- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	69,300.00	69,300.00	66,273.56	(-) 3,026.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.1201.2316- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	24,700.00 (-) 16,750.00	7,950.00	7,949.72	(-) 0.28	₹ 16,750.00 लाख के प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.1701.5468- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1702.5468-जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	1,100.00	1,100.00	0.00	(-) 1,100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.1703.5468-जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	900.00	900.00	0.00	(-) 900.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.1901.5468-जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	1,32,000.00	1,32,000.00	98,916.74	(-) 33,083.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.800.1702.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 87.84	12.16	0.00	(-) 12.16	₹ 87.84 लाख के प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.800.0420.1414-खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	मूल	915.00	915.00	307.90	(-) 607.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-800.0423.1414-खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	मूल	240.00	240.00	0.00	(-) 240.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	3,050.00 1,830.00	4,880.00	4,826.86	(-) 53.14	₹ 1,830.00 लाख की निधि का आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.102.0101.4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	9,150.00 5,770.00	14,920.00	14,714.50	(-) 205.50	₹ 5,770.00 लाख की निधि का आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0102.4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	3,450.00 1,610.00	5,060.00	5,024.34	(-) 35.66	₹ 1,610.00 लाख की निधि का आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.800.1401.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	28,060.00 16,750.00	44,810.00	40,403.38	(-) 4,406.62	₹ 16,750.00 लाख की निधि का आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4215-01.800.1403.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	7,360.00 4,500.00	11,860.00	11,792.00	(-) 68.00	₹ 4,500.00 लाख की निधि का आवर्धन तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 21-लोक सेवा प्रबंधन

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	74,21,01			
पूरक	7,96,00	82,17,01	70,49,94	(-) 11,67,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,35,17

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20			
पूरक	0	20	0	(-) 20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				20

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	0	(-) 25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				25,00

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 796.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,167.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 335.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.0101.5722- कॉल सेंटर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 400.00	2,100.00	2,100.00	(-) 0.00	₹ 400.00 लाख (समर्पण द्वारा ₹ 120.00 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.00 लाख) की प्रत्याशित बचत रिक्त पद, संभावित बचत एवं टोल फ्री लाइन के देयकों की राशि कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0101.9602- शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 244.00	156.00	150.00	(-) 6.00	₹ 244.00 लाख (समर्पण द्वारा ₹ 124.00 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख) की प्रत्याशित बचत लोक सेवा केन्द्र के आवेदन में वृद्धि के कारण, लोक सेवा प्रत्याभूत नियमावली एवं वी.जी.एफ. निधि के बचत के अंतर्गत आवेदन के सीमित प्राप्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

अनुदान संख्या 21-लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.5379- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	371.00 78.70	449.70	421.30	(-) 28.40	₹ 78.70 लाख की निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 21.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, वेतन एवं वेतनवृद्धि के लंबित देयकों के भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत एवं रिक्त पद के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2053-094.9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	600.00 60.13	660.13	662.79	+ 2.66	₹ 60.13 लाख की निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 39.87 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी मामलों के सुचारु निराकरण के कारण प्रतिपूर्ति निधि की बचत एवं संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2053-800.7364- जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुदान	मूल पुनर्वि.	500.00 200.00	700.00	700.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की निधि का आवर्धन लोक सेवा केन्द्र पर ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल के माध्यम से अधिक आवेदनों के पंजीकरण एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को प्रति आवेदन ₹ 10 की दर से भुगतान अपेक्षित होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) संपूर्ण प्रावधान की बचत 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	25.00 (-) 25.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 25.00 लाख की प्रत्याशित बचत बंद लोक सेवा केन्द्र भवन के निर्माण के मांग के अभाव के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	92,99,24,35			
पूरक	28,32,37,20	1,21,31,61,55	1,09,13,23,11	(-) 12,18,38,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,03,58

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,47,02,00			
पूरक	2,20,29,00	11,67,31,00	8,70,40,45	(-) 2,96,90,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	27,95,05,04			
पूरक	4,00,52,03	31,95,57,07	31,20,16,29	(-) 75,40,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				28,68

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	94,00,01			
पूरक	0	94,00,01	84,00,00	(-) 10,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,21,838.44 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 760.20 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 1,35,118.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 1,47,359.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,83,237.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,21,838.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 403.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2217.05.191.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	21,024.66	37,524.66	16,024.66	(-) 21,500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	16,500.00				
2217.05.191.1301.9640- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	मूल	46,800.00	70,272.00	26,247.33	(-) 44,024.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	23,472.00				
2217.05.191.1302.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	11,891.00	22,466.00	6,046.67	(-) 16,419.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	10,575.00				
2217.05.192.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	21,024.67	37,524.67	16,024.67	(-) 21,500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	16,500.00				

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217.05.192.1302.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	11,891.00 9,500.00	21,391.00	5,975.33	(-) 15,415.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217.05.193.1301.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	21,024.67 6,940.00	27,964.67	21,024.67	(-) 6,940.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.0701.1238-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन	मूल	1,683.60	1,683.60	0.00	(-) 1,683.60	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.0702.1238-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन	मूल	634.80	634.80	0.00	(-) 634.80	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.0703.1238-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन	मूल	441.60	441.60	0.00	(-) 441.60	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-191.0101.9578-नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-192.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	529.00	529.00	0.00	(-) 529.00	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-193.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	368.00	368.00	0.00	(-) 368.00	सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0701.7839- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	मूल पुनर्वि.	0.01 3,050.00	3,050.01	3,042.00	(-) 8.01	₹ 3,050.00 लाख की निधि का आवर्धन केन्द्रांश की राशि प्राप्ति के 21 दिन पश्चात् एवं राज्यांश प्राप्ति के 40 दिन पश्चात् एस.एन.ए. खाते में अंतरण के कारण हुआ था।
2217-05.800.0702.1237- हाउसिंग फॉर आल	मूल	20,700.00	20,700.00	25,274.21	+ 4,574.21	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.0704.1237- हाउसिंग फॉर आल	मूल पूरक	36,600.00 40,032.00	76,632.00	85,845.22	+ 9,213.22	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2217-05.800.0704.7839- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	मूल पुनर्वि.	0.01 2,350.00	2,350.01	2,333.00	(-) 17.01	₹ 2,350.00 लाख की निधि का आवर्धन केन्द्रांश की राशि प्राप्ति के 21 दिन पश्चात् एवं राज्यांश प्राप्ति के 40 दिन पश्चात् एस.एन.ए. खाते में अंतरण के कारण हुआ था।
2217-05.800.0705.1237- हाउसिंग फॉर आल	मूल	13,800.00	13,800.00	29,284.47	+ 15,484.47	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (5) ₹ 29,690.55 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 22,029.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 29,690.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604.191.0570.1425- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	मूल	65,000.00	65,000.00	48,111.45	(-) 16,888.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604.191.1425- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणोद्भ्याज का प्रतिसंदाय	पूरक	12,800.00	12,800.00	0.00	(-) 12,800.00	सम्पूर्ण अनुपूरक विनियोग के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 7,540.78 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 40,052.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 7,540.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 28.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) यद्यपि ₹ 7,540.78 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम था, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-03.190.0705.9880- जबलपुर स्मार्ट सिटी	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	1,075.00	+ 1,075.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4217-03.190.0705.9882- ग्वालियर स्मार्ट सिटी	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	5,000.00	+ 5,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4217-03.190.0706.9880- जबलपुर स्मार्ट सिटी	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	3,925.00	+ 3,925.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4217-03.190.0706.9886 सतना स्मार्ट सिटी	पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	5,000.00	+ 5,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4217-60.051.0101.9631- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण	मूल	2,000.00	2,000.00	19,509.18	+ 17,509.18	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
6217-60.191.0101.9935- नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण	मूल	20,000.00	20,000.00	40,000.00	+ 20,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

प्रभारित

(11) ₹ 1,000.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(12) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217.01.050.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष-2220—सूचना तथा प्रचार, 2700—मुख्य सिंचाई, 2701—मध्यम सिंचाई, 2702—लघु सिंचाई, 2705—कमान क्षेत्र का विकास, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,19,49,43			
पूरक	80,00,00	14,99,49,43	11,92,52,90	(-) 3,06,96,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,95,26,75

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,85,30,50			
पूरक	10,50,00,00	56,35,30,50	54,44,75,93	(-) 1,90,54,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,73,73,18

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20,00			
पूरक	28,00,00	29,20,00	28,14,90	(-) 1,05,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				40,19

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

पूँजीगत (प्रभारित) अनुभाग में हुए व्यय (₹ 28,14,90,390) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से दिनांक 22.06.2022 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 28,00,00,000 में से ₹ 27,35,08,830 खर्च की गई राशि भी सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में ₹ 8,000.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 30,696.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 29,526.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-13.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	301.01 (-) 166.01	135.00	134.87	(-) 0.13	समर्पण के रूप में ₹ 166.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-15.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	1,308.25 (-) 370.85	937.40	914.56	(-) 22.84	₹ 370.85 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 470.85 लाख की कमी (समर्पण ₹ 270.85 लाख + पुनर्विनायेजन ₹ 200.00 लाख) एवं वृद्धि ₹ 100.00 लाख का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-16.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	367.05 (-) 127.20	239.85	238.01	(-) 1.84	₹ 127.20 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 147.20 लाख की कमी एवं ₹ 20.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-19.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	547.75 (-) 181.38	366.37	360.82	(-) 5.55	समर्पण के रूप में ₹ 181.38 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-28.101.1574- उर्मिल परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.32 (-) 50.32	50.00	49.40	(-) 0.60	₹ 50.32 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 63.32 लाख की कमी (समर्पण ₹ 50.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 13.00 लाख) एवं ₹ 13.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-32.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	2,451.51 (-) 511.84	1,939.67	1,934.54	(-) 5.13	₹ 511.84 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 728.84 लाख की कमी (समर्पण ₹ 278.84 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 450.00 लाख) एवं ₹ 217.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-33.101.0101.3556- मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक	मूल पुनर्वि.	287.60 (-) 92.80	194.80	192.26	(-) 2.54	समर्पण के रूप में ₹ 92.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-36.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	761.60 (-) 343.35	418.25	413.40	(-) 4.85	समर्पण के रूप में ₹ 343.35 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-38.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-39.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-80.005.0101.9957- कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	मूल पुनर्वि.	2,728.55 (-) 987.52	1,741.03	1,732.05	(-) 8.98	समर्पण के रूप में ₹ 987.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2700-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 400.00	1,100.00	1,094.51	(-) 5.49	समर्पण के रूप में ₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2700-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 220.00	480.00	477.72	(-) 2.28	समर्पण के रूप में ₹ 220.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.001.0101.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	41,787.65 (-) 11,681.63	30,106.02	30,075.20	(-) 30.82	समर्पण के रूप में ₹ 11,681.63 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.799.0101.1051- स्टाक	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 100.01	0.00	(-) 1.59	(-) 1.59	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। ऋणात्मक व्यय उंचत शीर्ष में लेन-देन के कारण हुआ था।
2701-80.799.0101.4056- विविध-लोक निर्माण पेशगियां	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	(-) 3.11	(-) 3.11	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। ऋणात्मक व्यय उंचत शीर्ष में लेन-देन के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 250.00	150.00	139.84	(-) 10.16	समर्पण के रूप में ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2705-800.0101.6544-सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(4) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के व्यय में वर्ष 2022-23 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किये गये हैं। उचन्त के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹लाख में)		
(i) क्रय	(-) 2,309.78	0.00	0.00	(-) 2,309.78
(ii) भण्डार	+ 533.63	0.00	0.00	+ 533.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 3,756.84	0.00	4.70	+ 3,752.14
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 664.04	0.00	0.00	+ 664.04
योग	+ 2,644.73	0.00	4.70	+ 2,640.03

पूंजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 19,054.57 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 50,000.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 25,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 30,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 1,05,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 19,054.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 17,373.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) यद्यपि ₹ 19,054.57 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-19.800.0101.6596- सुधार सुदढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 1,246.51	1,753.49	1,773.00	+19.51	₹ 1,246.51 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 21.51 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,225.00 लाख) अपेक्षानुसार निर्माण कार्य न होने एवं लंबित भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-69.800.0103.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10.00 21.00	31.00	31.59	+ 0.59	₹ 21.00 लाख की निधि का आवर्धन ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 279.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अपेक्षानुसार निर्माण कार्य न होने के कारण हुआ था जबकि वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-C1.1901.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 6,061.35	3,938.65	3,938.86	+ 0.21	₹ 6,061.35 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,061.00 लाख) कम राशि एवं अपेक्षानुसार निर्माण कार्य न होने के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4701-48.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	500.00 699.81	1,199.81	1,201.37	+ 1.56	₹ 699.81 लाख की निधि का आवर्धन ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1,300.19 लाख की कमी का निवल प्रभाव हुआ था। चालू परियोजनाओं के संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के कारण कमी हुई थी, जबकि वृद्धि एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(8) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे +जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 2,289.29	0.00	0.00	(-) 2,289.29
(ii) भण्डार	+ 4,022.86	0.00	0.00	+ 4,022.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,187.16	0.00	0.00	+ 1,187.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 211.06	0.00	0.00	(-) 211.06
योग	+ 2,709.67	0.00	0.00	+ 2,709.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-) 12.92	0.00	0.00	(-) 12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

वित्तीय वर्ष 2021-22 से समाप्त मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य का शेष

विवरण	01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(1) क्रय	(-) 1,31.77	0.00	0.00	(-) 1,31.77
(2) भण्डार	(-) 27.12	0.00	0.00	(-) 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-) 93.43	0.00	0.00	(-) 93.43

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

वित्तीय वर्ष 2020-21 से समाप्त मांग संख्या-57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

प्रभारित

- (9) ₹ 105.10 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 2,800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (10) ₹ 105.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 40.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (11) यद्यपि ₹ 105.10 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 3053-नागर विमानन, 3054-सड़कों तथा सेतु, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,60,56,93			
पूरक	8,07,50,00	27,68,06,93	21,47,03,71	(-) 6,21,03,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,10			
पूरक	0	2,00,10	18,42	(-) 1,81,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	53,12,45,09			
पूरक	23,19,60,07	76,32,05,16	73,50,89,86	(-) 2,81,15,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,91,11

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,05,00,00			
पूरक	35,00,00	3,40,00,00	2,60,12,03	(-) 79,87,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 62,103.22 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2022 (₹ 18,500.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 45,150.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 17,100.00 लाख), में प्राप्त किया गया ₹ 80,750.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 62,103.22 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.800.9587- म.प्र. बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पो. लि. में निवेश	पूरक	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3054-01.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल	4,201.01	4,201.01	1,234.05	(-) 2,966.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3054-03.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पूरक	5,900.00 7,500.00	13,400.00	9,900.00	(-) 3,500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पूरक	18,600.00 37,000.00	55,600.00	29,009.30	(-) 26,590.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.800.0102.7081- मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण एवं उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल	6,600.00	17,600.00	5,476.48	(-) 12,123.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	11,000.00				
3054-04.800.0103.7081- मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण एवं उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल	4,800.00	11,800.00	3,408.01	(-) 8,391.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	7,000.00				

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-03.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल	2,300.00	2,300.00	10,800.00	+ 8,500.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक					
3054-03.337.0103.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल	1,800.00	1,800.00	2,800.00	+ 1,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक					

(5) उचंत लेन-देन :-

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग के राजस्व दत्तमत में 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय नहीं हुआ। 'उचंत' के अंतर्गत लेनदेन की प्रकृति एवं उसकी लेखांकन प्रक्रिया विनियोग लेखे के अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में नीचे नोट-05 में समझाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्राथमिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाप्त अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण—कार्य का शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 62,89.91	0.00	0.00	(-) 62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,47,81.38	0.00	0.00	+1,47,81.38
योग	+ 1,09,77.95	0.00	0.00	+1,09,77.95

प्रभारित

- (6) ₹ 181.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गयी।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल 200.00	200.00	17.92	(-) 182.08 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 28,115.30 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2022 (₹ 1,00,960.01 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 1,31,00.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 0.06 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,31,960.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 28,115.30 लाख की बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 491.11 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (10) यद्यपि ₹ 28,115.30 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम था, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैंः—

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054.04.337.1901.2457- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	31,000.00 49,799.40 3,500.00	84,299.40	106,684.10	+ 22,384.70	पूनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख का निधि में आवर्धन देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054.04.337.1903.2457- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	मूल पूरक	8,000.00 6,400.00	14,400.00	17,903.78	+ 3,503.78	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054.05.337.1201.7368- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	मूल	32,015.00	32,015.00	36,511.36	+ 4,496.36	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054.05.337.1202.7368- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	मूल	11,245.00	11,245.00	12,745.00	+ 1,500.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (11) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 3,500.00 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (12) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.337.1901.9609- नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054-03.337.1902.9609- नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054-03.337.1903.9609- नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण	मूल	800.00	800.00	0.00	(-) 800.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-80.800.0102.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 900.00	0.00	0.00	0.00	₹ 900.00 लाख के समस्त विनियोग की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054-80.800.0103.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	699.97 (-) 413.00	286.97	0.00	(-) 286.97	₹ 413.00 लाख के पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054-80.800.1901.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	12,400.00 (-) 12,400.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,400.00 लाख के समस्त विनियोग की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5054-80.800.1902.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	4,400.00 (-) 4,400.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,400.00 लाख के समस्त विनियोग की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (13) उपरोक्त टिप्पणी (12) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	500.00 20,113.00	20,613.00	20,612.59	(-) 0.41	₹ 20,113.00 लाख का निधि में आर्वधन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य समाप्त

(14) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:

भारत सरकार के राजपत्रित अधिसूचना 31.03.2018 के द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम अब केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। इस सीआरआईएफ का उपयोग राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अद्योसंरचनाओं इत्यादि के विकास और रखरखाव हेतु किया जायेगा। प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8449—103 केन्द्रीय सड़क और अद्योसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। वर्ष 2022—23 के दौरान राज्य सरकार की सीआरआईएफ के लिए ₹ 573.96 करोड़ का अनुदान तथा योजना 0948 में ₹ 800.00 करोड़ का बजट आवंटित हुआ। केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले प्रासंगिक पूँजी अथवा राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 अथवा 3054) में दर्ज किया जायेगा एवं सम्बंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी मामला हो) में व्यय कटौती के रूप में लोक लेखे से मुख्य शीर्ष 8449—103 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2022—23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि के लिए ₹ 573.96 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे राज्य सरकार ने जमा शीर्ष 8449—103— केन्द्रीय सड़क और अद्योसंरचना निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि लोक लेखे में संचालित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 5054 से सीधे तौर पर ₹ 725.69 करोड़ का व्यय लोक लेखे के माध्यम से नहीं किया।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,71,35,26			
पूरक	1,25,00,00	3,96,35,26	3,73,15,36	(-) 23,19,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00,05,00			
पूरक	1,13,05,10	8,13,10,10	8,13,05,10	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,01,00,02			
पूरक	3,75,00,00	6,76,00,02	6,74,93,14	(-) 1,06,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,319.90 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 4,500.00 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 8,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 12,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,319.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,559.05 (-) 320.00	4,239.05	2,855.60	(-) 1,383.45	₹ 320.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 380.56 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.56 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। ₹ 0.20 लाख की वृद्धि विभाग की आवश्यकतानुसार पुस्तकों की खरीद के कारण हुई तथा ₹ 0.20 लाख की कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि/कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	213.00	213.00	50.24	(-) 162.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2853-02.001.1701.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 5.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) ₹ 5.00 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 106.88 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 25,500.00 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 12,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 37,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 106.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) ₹ 106.88 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,93,13,63			
पूरक	23,26,00	3,16,39,63	2,58,91,09	(-) 57,48,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,21,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				30

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,77,50,10			
पूरक	1,00,00	3,78,50,10	54,55,21	(-) 3,23,94,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 (₹ 240.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 1,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 1,086.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,326.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,748.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,221.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल	1,088.00	1,088.00	708.27	(-) 379.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2205-102.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	2,000.00	2,000.00	600.00	(-) 1,400.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2205-102.0101.6042- रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पूरक	500.00 76.00	576.00	288.10	(-) 287.90	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में समान रूप से ₹ 33.36 लाख की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2205-102.0101.7876- स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों का संकलन/ दस्तावेजीकरण/प्रदर्शन	मूल पुनर्वि.	110.00 (-) 64.30	45.70	45.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 64.30 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2205-102.0687- संस्कृति भवनों का संचालन एवं उन्नयन	मूल	200.00	200.00	128.00	(-) 72.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2205-102.6379- संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	360.00 13.00	373.00	240.17	(-) 132.83	₹ 13.00 लाख का निधि में आवर्धन, वाहन क्रय हेतु निधि की कम उपलब्धता एवं वाहन व्यवस्था शीर्ष के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2205-102.8458- स्वराज भवन	मूल पुनर्वि.	304.00 (-) 140.15	163.85	164.02	+ 0.17	समर्पण के रूप में ₹ 140.15 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-103.0101.5483- डॉ. वी.एस. वाकणकर सृजनपीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 44.16	30.84	30.84	0.00	₹ 44.16 लाख का निधि में आवर्धन पदों की रिक्ति, दौरे के देयकों की प्राप्ति न होना तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-800.9571- रामपथ गमन अंचल विकास योजना	मूल	1,201.04	1,201.04	0.00	(-) 1,201.04	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में ₹ 100.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 32,394.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 0.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.800.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	35,000.02	35,000.02	5,000.00	(-) 30,000.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
4202-04.800.0101.5685- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-04.800.0101.9903- डॉ. केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना	पूरक	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-04.800.9571- रामपथ गमन अंचल विकास योजना	मूल	1,800.01	1,800.01	0.00	(-) 1,800.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवायें, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,63,32,46,98			
पूरक	3,25,01	2,63,35,71,99	2,35,15,07,46	(-) 28,20,64,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				28,12,67,63

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,00			
पूरक	0	40,00	0	(-) 40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				40,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,59,30,09			
पूरक	0	14,59,30,09	9,18,82,41	(-) 5,40,47,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,40,47,68

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 325.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,82,064.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 2,81,267.63 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.0101.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगंज	मूल पुनर्वि.	610.01 (-) 610.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की सक्षम स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
2202-01.001.0102.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगंज	मूल पुनर्वि.	230.01 (-) 230.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की सक्षम स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
2202-01.001.0103.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगंज	मूल पुनर्वि.	160.01 (-) 160.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की सक्षम स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
2202-01.101.0101.3491-माध्यमिक शालायें	मूल पुनर्वि.	6,05,968.65 (-) 62,153.86	5,43,814.79	5,43,612.09	(-) 202.70	₹ 62,153.86 लाख की प्रावधान में प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,389.03 लाख की वृद्धि एवं ₹ 63,542.89 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.46 लाख + ₹ 63,542.43 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। समर्पण के रूप में कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी व वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0101.7661- विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रखर योजना	मूल पुनर्वि.	244.00 (-) 244.00	0.00	0.00	0.00	₹ 244.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत (₹ 100.00 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 144.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण योजना की सक्षम स्वीकृति न मिलने के कारण हुआ। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-01.101.0102.7661- विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रखर योजना	मूल पुनर्वि.	92.00 (-) 92.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-01.101.0103.7661- विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रखर योजना	मूल पुनर्वि.	64.00 (-) 64.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-01.101.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,22,162.68 (-) 14,545.91	1,07,616.77	1,07,616.77	0.00	₹ 14,545.91 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 10,807.97 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 3,737.94 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	46,061.41 (-) 17,734.73	28,326.68	28,326.68	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 17,734.73 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0704.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	81,442.15 (-) 9,697.63	71,744.51	71,744.51	0.00	₹ 9,697.63 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 7,205.68 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 2,491.95 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-01.104.0701.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,500.60 (-) 1,500.60	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2202-01.104.0702.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	565.80 (-) 565.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2202-01.104.0703.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	393.60 (-) 393.60	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2202-01.104.0704.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,000.40 (-) 1,000.40	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2202-01.104.0705.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	377.20 (-) 377.20	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2202-01.104.0706.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	262.40 (-) 262.40	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.108.0101.2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	383.69 (-) 383.69	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 383.69 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 17.69 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 366.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), आवश्यकता न होने के कारण समर्पण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0102.2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	144.67 (-) 144.67	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 144.67 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 6.67 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 138.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), आवश्यकता न होने के कारण समर्पण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0103.2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	100.64 (-) 100.64	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.64 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 4.64 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 96.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), आवश्यकता न होने के कारण समर्पण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,909.00 (-) 1,909.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,909.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 669.97 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 1,239.03 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण योजना हेतु सक्षम अनुमति न मिलने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-02.109.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	मूल पुनर्वि.	3,16,018.04 (-) 37,332.20	2,78,685.84	2,78,465.20	(-) 220.64	₹ 37,332.20 लाख की प्रावधान में प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,981.51 लाख की वृद्धि एवं ₹ 40,313.71 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 74.17 लाख + ₹ 40,239.54 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, सांकेतिक प्रावधान, शिक्षा संवर्ग के रोजगार कोड जारी करने के रूप में वेतन मद से आहरण के कारण हुई। शेष कमी व वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.101.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	10,594.19 3,809.61	14,403.80	14,403.80	0.00	₹ 3,809.61 लाख के निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-02.106.0102.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	575.01 2,669.99	3,245.00	3,245.00	0.00	₹ 2,669.99 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,670.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। सांकेतिक प्रावधान के कारण कमी हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-02.106.0103.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	400.01 2,256.99	2,657.00	2,657.00	0.00	₹ 2,256.99 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,257.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। सांकेतिक प्रावधान के कारण कमी हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-80.001.0101.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,525.01 5,072.99	6,598.00	6,598.00	0.00	₹ 5,072.99 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,073.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। सांकेतिक प्रावधान के कारण कमी हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-102.4598-स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	मूल पुनर्वि.	280.32 93.94	374.26	374.26	0.00	₹ 93.94 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 6.06 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित

- (5) ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के उपलब्ध बचत को 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.105.3694-राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-80.001.3858-लोक शिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 30.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत कोई भी मामले प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 54,047.68 लाख की संपूर्ण उपलब्ध बचत को 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0101.2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	1,525.00 (-) 1,525.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत योजना हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0101.9562- समरसता छात्रावास	मूल पुनर्वि.	3,050.00 (-) 3,050.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत योजना हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-01.201.0701.9675- स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,830.00 (-) 1,830.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
4202-01.201.0704.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,708.00 (-) 1,708.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुई।
4202-01.202.0101.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	5,063.00 (-) 5,063.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत योजना हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-01.202.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	6,222.00 (-) 6,222.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की ₹ 6,222.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 5,481.67 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 740.33 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-01.202.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	2,346.00 (-) 2,346.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की ₹ 2,346.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 1,928.97 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 417.03 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0704.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	4,148.00 (-) 4,148.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुई।
4202-01.202.0705.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,564.00 (-) 1,564.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुई।
4202-01.202.1901.6970-शासकीय स्कूल/ छात्रावास/ पुस्तकालय /आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	7,701.50 (-) 6,880.20	821.30	821.30	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की ₹ 6,880.20 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 4,880.20 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 2,000.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण निर्माण एजेंसी द्वारा आहरण न करने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-01.202.1903.6970-शासकीय स्कूल/ छात्रावास/ पुस्तकालय /आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,986.00 (-) 1,986.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की ₹ 1,986.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 1,549.00 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 437.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में), समर्पण निर्माण एजेंसी द्वारा आहरण न करने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0701.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	2,562.00 740.33	3,302.33	3,302.33	0.00	₹ 740.33 लाख की निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल	966.00	1,383.03	1,383.03	0.00	₹ 417.03 लाख की निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पुनर्वि.	417.03				
4202-01.201.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल	672.00	959.65	959.65	0.00	₹ 287.65 लाख की निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पुनर्वि.	287.65				
4202-01.202.1701.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	1,000.00	2,852.19	2,852.19	0.00	प्रावधान में ₹ 1,852.19 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 147.81 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। समर्पण निर्माण एजेंसी द्वारा आहरण न किये जाने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	1,852.19				
4202-01.202.1702.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	250.00	332.49	332.49	0.00	प्रावधान में ₹ 82.49 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 417.51 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 500.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। समर्पण निर्माण एजेंसी द्वारा आहरण न किये जाने के कारण किया गया। पुनर्विनियोजन के रूप में वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	82.49				

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,03,68,36			
पूरक	10,00	1,03,78,36	92,33,89	(-) 11,44,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				72,94

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	72,84			
पूरक	0	72,84	34,54	(-) 38,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,144.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 72.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007-विधायकों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,478.50 (-) 393.50	4,085.00	3,688.97	(-) 396.03	₹ 393.50 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 405.00 लाख की कमी तथा ₹ 11.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। अंतिम बचत, सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तहत ब्याज अनुदान के आदेश जारी न किये जाना, सरकार के निर्देश एवं मासिक/त्रैमासिक व्यय पर सीमा एवं मितव्ययिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई।
2011-02.101.6801-माननीय विधायकों को लेपटॉप का क्रय	मूल	49.50	49.50	5.50	(-) 44.00	₹ 44.00 लाख की बचत माननीय विधायकों द्वारा लैपटॉप की खरीद न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई।
2011-02.103.4009-विधान सभा सचिवालय	मूल पूरक पुनर्वि.	4,514.93 10.00 38.50	4,563.43	3,995.12	(-) 568.31	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 38.50 लाख की निधि का आवर्धन ₹ 43.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विदेशी दौरो, मध्यप्रदेश विधानसभा प्रणाली और प्रक्रिया पुस्तकों की खरीद तथा संभावित बचत के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। अंतिम बचत सरकार से निर्देश एवं मासिक/त्रैमासिक व्यय पर सीमा एवं मितव्ययिता के कारण हुई।
2011-02.103.4312-संसदीय कार्य विभाग	मूल पुनर्वि.	322.14 (-) 72.91	249.23	249.23	0.00	₹ 72.91 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों एवं मितव्ययिता के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.103.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	275.00 355.00	630.00	622.18	(-) 7.82	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 355.00 लाख का निधि का आवर्धन ₹ 403.10 लाख की वृद्धि तथा ₹ 48.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत सरकार से निर्देश एवं मासिक/ त्रैमासिक व्यय पर सीमा एवं मितव्ययिता के कारण हुई।

प्रभारित

- (5) ₹ 38.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 10.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तें	मूल	72.64	72.64	34.54	(-) 38.10	₹ 38.10 लाख की बचत माननीय उप सभापति का पद रिक्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	18,04,60,09			
पूरक	1,20,47,90	19,25,07,99	14,74,21,12	(-) 4,50,86,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,45,17,22

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,23,20,00			
पूरक	0	2,23,20,00	1,76,82,60	(-)46,37,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				46,25,79

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,37,50,00			
पूरक	0	2,37,50,00	2,19,59,00	(-) 17,91,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				17,90,98

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 12,047.90 लाख सितंबर 2022 (₹ 11,969.90 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 78.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 45,086.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 44,517.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,162.30	437.70	437.69	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 1,162.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2014-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 353.50	446.50	446.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 353.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2014-103.0707.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	पूरक पुनर्वि.	4,286.65 (-) 2,912.29	1,374.36	1,381.57	+ 7.21	समर्पण के रूप में ₹ 2,912.29 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2014-105.0101.1486- स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 350.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.0101.9065- अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 405.90	494.10	494.10	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 405.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-105.4497- सामान्य स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,10,059.64 100.35 (-) 24,596.27	85,563.72	85,542.05	(-) 21.67	₹ 24,596.27 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 25,766.19 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,169.92 लाख + ₹ 24,596.27 लाख समर्पण के रूप में) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,169.92 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी, पदों की रिक्तियों, न्यायिक सेवाओं के सदस्यों के पानी और बिजली शुल्क की 22-005 शीर्ष से प्रतिपूर्ति तथा संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान, स्टेशनरी शीर्ष में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, म.प्र. के न्यायिक अधिकारियों हेतु 'जिला-न्यायपालिका की उत्कृष्टता का आदान-प्रदान' दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, वेतन, यात्रा भत्ता एवं टेलीफोन व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.5315- विशेष न्यायालय एम.पी. एवं एम.एल. ए.	मूल पुनर्वि.	377.54 (-) 318.15	59.39	59.39	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 318.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2014-105.6211- केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय	मूल पुनर्वि.	735.97 (-) 416.69	319.28	318.86	(-) 0.42	समर्पण के रूप में ₹ 416.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-114.6251- उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान	मूल पुनर्वि.	120.00 (-) 52.01	67.99	67.99	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 52.01 लाख की प्रत्याशित बचत पदों की रिक्तियों तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	209.00 (-) 146.30	62.70	62.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 146.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2015-108.9503- मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	मूल पूरक पुनर्वि.	600.06 500.00 (-) 526.18	573.88	573.88	0.00	₹ 526.18 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 576.18 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख + ₹ 526.18 लाख समर्पण के रूप में) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि पी.ओ. एल. के कारण हुई तथा आंशिक कमी मुद्रण और प्रकाशन में बचत के कारण हुई।
2052-090.0101.9066- विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	160.00 (-) 54.38	105.62	105.61	(-) 0.01	₹ 54.38 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 70.38 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.00 लाख + ₹ 54.38 लाख समर्पण के रूप में) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों तथा वस्तुओं के क्रय हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई जबकि वृद्धि एमएपीआईटी के माध्यम से काम करने वाले तीन प्रोग्रामरों के वेतन और वेतन वृद्धि बकाया भुगतान के कारण हुई।
2225-01.800.0707.5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	पूरक पुनर्वि.	4,226.90 (-) 2,908.57	1,318.33	1,320.56	+ 2.23	समर्पण के रूप में ₹ 2,908.57 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 396.32	103.68	103.68	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 396.32 लाख की प्रत्याशित बचत पदों की रिक्तियों तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.5104- स्थायी लोक अदालत	मूल पुनर्वि.	90.00 (-) 63.38	26.62	26.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 63.38 लाख की प्रत्याशित बचत पदों की रिक्तियों तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 4,637.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 4,625.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 462.01	337.99	337.99	0.00	₹ 462.01 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42.50 लाख + ₹ 419.51 लाख समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत ऑनलाइन आयोजित प्रशिक्षण के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	19,200.00 (-) 2,731.82	16,468.18	16,456.57	(-) 11.61	₹ 2,731.82 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,213.20 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,438.88 लाख + ₹ 2,774.32 लाख समर्पण के रूप में) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,481.38 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी अंशतः पदों की रिक्तियों, न्यायालयों में स्थापित एम.पी.एस.एल. लीज सर्किट लाइनों के बिलों का भुगतान, दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों का कार्यान्वयन न होना, 22-002 के स्थान पर 31-009 से व्यय के कारण हुई जबकि वृद्धि टेलीफोन, बिजली और पानी का शुल्क, पेट्रोल, चिकित्सा, वेतन, अवकाश यात्रा रियायत, मंहगाई भत्ते के मासिक भुगतान, बीएसएनएल को किराया, जीएसटी एवं स्थानीय कर एवं ग्वालियर के नए उच्च न्यायालय भवन के लंबित बिलों के भुगतान के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 884.83	615.17	615.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 884.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 534.81	265.19	265.19	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 534.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1,791.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,790.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.9073- महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,453.41	46.59	46.58	(-) 0.01	₹ 1,453.41 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,350.00 लाख + ₹ 103.41 लाख समर्पण के रूप में) प्रशासनिक अनुमति न मिलने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9511- म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 990.00 लाख + ₹ 10.00 लाख समर्पण के रूप में) प्रशासनिक अनुमति में परिवर्तन जारी न करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0701.6222- न्यायाधीशों के आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,300.00 (-) 3,300.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 3,299.99 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.01 लाख) भारत सरकार द्वारा केवल एक राज्य को पीएफएमएस से जोड़ने की योजना और राज्य में केवल एक बैंक खाता रखने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.106.0704.6222- न्यायाधिशों के आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,200.00 (-) 2,200.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 2,199.99 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.01 लाख) भारत सरकार द्वारा केवल एक राज्य को पीएफएमएस से जोड़ने की योजना और राज्य में केवल एक बैंक खाता रखने के कारण हुई।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0701.2450- न्यायालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	7,800.00 4,700.00	12,500.00	12,500.00	0.00	₹ 4,700.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,703.99 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.99 लाख की कमी के कारण हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा केवल एक राज्य को पीएफएमएस से जोड़ने की योजना और राज्य में केवल एक बैंक खाता रखने तथा केन्द्र और राज्य के हिस्से में अनुपातिक रूप से धन उपलब्ध कराने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0704.2450- न्यायालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,200.00 3,133.37	8,333.37	8,333.37	0.00	₹ 3,133.37 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,135.99 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.62 लाख की कमी के कारण हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा केवल एक राज्य को पीएफएमएस से जोड़ने की योजना और राज्य में केवल एक बैंक खाता रखने तथा केन्द्र और राज्य के हिस्से में अनुपातिक रूप से धन उपलब्ध कराने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,74,98,91,89			
पूरक	21,21,51,01	1,96,20,42,90	1,47,97,69,72	(-) 48,22,73,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				47,90,66,12

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,96			
पूरक	0	6,96	0	(-) 6,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,81

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	38,90,00,12			
पूरक	सांकेतिक	38,90,00,12	35,91,87,19	(-) 2,98,12,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,55,67,12

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 (₹ 8,371.01 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 10,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 1,03,780.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,12,151.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,82,273.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 4,79,066.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.198.0701.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	14,640.00 (-) 8,750.19	5,889.81	5,889.81	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,750.19 लाख की प्रत्याशित बचत, कोषालय से आहरण तथा वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई।
2216-03.198.0701.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	4,36,000.00 98,980.80 (-) 92,174.19	4,42,806.61	4,42,806.61	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 92,174.19 लाख की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2216-03.198.0702.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	98,000.00 36,494.40 (-) 34,424.40	1,00,070.00	1,00,070.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 34,424.40 लाख की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0703.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	66,000.00 25,804.80 (-) 24,364.80	67,440.00	67,440.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 24,364.80 लाख की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2501-06.198.0101.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 5,106.31 (-) 5,106.32	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,106.32 लाख की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2501-06.198.0102.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 1,925.33 (-) 1,925.34	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई।
2501-06.198.0103.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 1,339.36 (-) 1,339.37	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न प्राप्त होने के कारण हुई।
2501-06.198.0701.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना—(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	2,562.00 (-) 2,523.59	38.41	38.41	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,523.59 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्ति प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30-ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.198.0702.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	966.00 (-) 951.52	14.48	14.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 951.52 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्तियां प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2501-06.198.0703.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	672.00 (-) 661.92	10.08	10.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 661.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्तियां प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2501-06.198.0704.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	1,708.00 (-) 1,682.39	25.61	25.61	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,682.39 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्तियां प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2501-06.198.0705.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	644.00 (-) 634.35	9.65	9.65	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 634.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्तियां प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2501-06.198.0706.9526- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-(डी.डी.यू. जी.के.वाय.)	मूल पुनर्वि.	448.00 (-) 441.28	6.72	6.72	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 441.28 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राप्तियां प्राप्त न होने पर वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
2501-06.198.0801.9527- रुरल सेल्फ इम्प्यालमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट-(आर.से. टी.)	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 2,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.198.0701.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	1,60,125.00 (-) 89,585.33	70,539.67	70,539.67	0.00	₹ 89,585.33 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,803.33 लाख + ₹ 84,782.00 लाख समर्पण के रूप में) कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2505-01.198.0702.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	60,375.00 (-) 33,778.07	26,596.93	26,596.93	0.00	₹ 33,778.07 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,447.79 लाख + ₹ 32,330.28 लाख समर्पण के रूप में) कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2505-01.198.0703.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	42,000.00 (-) 23,497.79	18,502.21	18,502.21	0.00	₹ 23,497.79 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,007.16 लाख + ₹ 22,490.63 लाख समर्पण के रूप में) कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2505-01.198.0704.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	53,375.00 (-) 29,861.78	23,513.22	23,513.22	0.00	₹ 29,861.78 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,321.10 लाख + ₹ 27,540.68 लाख समर्पण के रूप में) कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.198.0705.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	20,125.00 (-) 11,259.36	8,865.64	8,865.64	0.00	₹ 11,259.36 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 806.84 लाख + ₹ 10,452.52 लाख समर्पण के रूप में) कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0701.0656-किचन शेड डिवाइजेज	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0701.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	732.00 (-) 732.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0702.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	276.00 (-) 276.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0703.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	192.00 (-) 192.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0704.0656-किचन शेड डिवाइजेज	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0704.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	488.00 (-) 488.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0705.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	184.00 (-) 184.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2515-198.0706.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	मूल पुनर्वि.	128.00 (-) 128.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-02.198.0702.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	2,760.00 1,210.26	3,970.26	3,970.26	0.00	₹ 1,210.26 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2501-02.198.0703.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,920.00 841.92	2,761.92	2,761.92	0.00	₹ 841.92 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2501-02.198.0705.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,840.00 806.84	2,646.84	2,646.84	0.00	₹ 806.84 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2501-02.198.0706.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,280.00 561.28	1,841.28	1,841.28	0.00	₹ 561.28 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2501-03.198.0701.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	7,320.00 3,209.82	10,529.82	10,529.82	0.00	₹ 3,209.82 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-03.198.0704.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	4,880.00 2,321.10	7,201.10	7,201.10	0.00	₹ 2,321.10 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2505-01.198.0801.9566- सामाजिक संपरीक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 963.51	963.52	963.52	0.00	₹ 963.51 लाख की राशि का निधि में आवर्धन ₹ 963.52 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण तथा कमी सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई।
2515-102.0801.7886- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	मूल पुनर्वि.	3,965.00 629.98	4,594.98	4,594.98	0.00	₹ 629.98 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2515-102.0802.7886- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	मूल पुनर्वि.	1,495.00 237.53	1,732.53	1,732.53	0.00	₹ 237.53 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2515-102.0803.7886- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	मूल पुनर्वि.	1,040.00 165.24	1,205.24	1,205.24	0.00	₹ 165.24 लाख की निधि का आवर्धन भारत सरकार से प्रावधान राशि से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 29,812.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 25,567.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0701.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	1,07,238.00 (-) 18,002.93	89,235.07	89,235.07	0.00	₹ 18,002.93 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख + ₹ 8,002.93 लाख समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा कोषालय से आहरण की अनुमति के साथ-साथ पुनर्विनियोजन स्वीकृति न किये जाने व भारत सरकार से कम आवंटन के कारण हुई।
4515-103.0704.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	14,298.40 (-) 14,298.40	0.00	0.00	0.00	₹ 14,298.40 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,798.40 लाख + ₹ 4,500.00 लाख समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा निधि से आहरण तथा पुनर्विनियोजन हेतु अनुमति न मिलने के कारण हुई।
4515-103.0705.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	5,391.20 (-) 5,391.20	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 5,391.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के सुझाव के आधार पर हुई।
4515-103.0706.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	3,750.40 (-) 3,750.40	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 3,750.40 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के सुझाव के आधार पर हुई।
4515-800.0101.7251- विकास भवन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत मांग न होने के कारण हुई।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0101.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 18,940.00	18,940.0	18,940.0	0.00	₹ 18,940.00 लाख की राशि का निधि में आवर्धन सांकेतिक प्रावधान तथा मांग के आधार पर हुआ।
4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 10,000.00	15,000.00	10,754.19	(-) 4,245.81	₹ 10,000.00 लाख की राशि का निधि में आवर्धन अत्यधिक मांग के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 2405-मछली उद्योग, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,95,51,47			
पूरक	97,87,90	2,93,39,37	2,65,87,65	(-) 27,51,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				25,47,51

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,88,17,04			
पूरक	1,71,97,84	6,60,14,88	6,23,03,74	(-) 37,11,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,02,55

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,751.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 8,177.90 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 1,610.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,787.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,751.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 2,547.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-092.0101.9602- शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्री परिषद् द्वारा योजना की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
3454-02.001.8048- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल पूरक पुनर्वि.	6,944.30 92.90 (-) 1,393.62	5,643.58	5,639.52	(-) 4.06	₹ 1,393.62 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,403.61 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.93 लाख + ₹ 1,309.68 लाख समर्पण के रूप में) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 9.99 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3454-02.205.0101.9584- डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 3,711.14 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2022 (₹ 15,315.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 1,882.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 17,197.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

- (5) ₹ 3,711.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,202.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1501.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल	3,000.00	3,000.00	1,113.51	(-) 1,886.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
5475-112.0101.9584- डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-भू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,04,27,38			
पूरक	1,57,00,00	6,61,27,38	6,47,88,87	(-) 13,38,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	09	(-) 91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00,00			
पूरक	0	3,00,00	89,47	(-) 2,10,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,338.51 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2022 (₹ 1,000.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 6,500.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 8,200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15,700.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,338.51 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 210.53 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684-	मूल	300.00	300.00	89.47	(-) 210.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,60,63,77			
पूरक	4,51,22,01	93,11,85,78	79,92,30,65	(-) 13,19,55,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				13,11,10,53

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,00			
पूरक	0	9,00	0	(-) 9,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				9,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,93,11,48			
पूरक	15,00,00	15,08,11,48	10,96,70,68	(-) 4,11,40,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,11,40,68

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 (₹ 44,522.00 लाख) तथा दिसंबर 2022 (₹ 600.00 लाख) में प्राप्त ₹ 45,122.01 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,31,955.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,31,110.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.2773- प्राथमिक शालाएं	मूल पुनर्वि.	3,38,313.00 (-) 41,024.85	2,97,288.15	2,97,191.60	(-) 96.55	₹ 41,024.85 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,896.70 लाख की वृद्धि एवं ₹ 42,921.55 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,741.71 लाख + ₹ 37,179.84 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वेतन भत्ते, चिकित्सा बिल और टूर बिल में बचत तथा वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन को मंजूरी के कारण हुई जबकि वृद्धि योजना में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 28.57	71.43	35.04	(-) 36.39	समर्पण के रूप में ₹ 28.57 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।
2225-01.800.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में कुल प्रावधान की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0102.9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	मूल पूरक पुनर्वि.	107.97 0.01 (-) 62.33	45.65	46.57	+ 0.92	समर्पण के रूप में ₹ 62.33 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2225-02.102.0102.1077- आदिवासी पंचायतों हेतु बर्तन प्रदाय योजना	पूरक	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-02.102.0102.2321- नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	मूल पुनर्वि.	112.50 (-) 112.50	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में कुल प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्यक्रम का आयोजन न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,035.02 (-) 796.11	238.91	238.91	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 796.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण अवधि कम करते हुए 24 माह के स्थान पर 13 माह की होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.4719- अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 44.52	5.48	5.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 44.52 लाख की प्रत्याशित बचत जिले से राहत प्राप्त न होने के कारण हुई।
2225-02.102.0102.7826- कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	मूल पुनर्वि.	750.00 (-) 750.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में कुल प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य-योजना के अनुमोदित न होने के कारण हुई।
2225-02.102.0102.9604- अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 4,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.9819- विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 83.30	16.70	16.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 83.30 लाख की प्रत्याशित बचत पदों की रिक्तियों के कारण हुई।
2225-02.102.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 7,815.76	2,184.24	2,184.24	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,815.76 लाख की प्रत्याशित बचत जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सी.सी.डी. में वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि जारी न करने के कारण हुई।
2225-02.102.0802.7881- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)	मूल पुनर्वि.	12,386.95 (-) 12,316.14	70.81	70.81	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,316.14 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विलम्ब से प्राप्त होने तथा एजेंसियों द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण हुई।
2225-02.190.4065- विशेष अवसरों पर प्रचार	पूरक	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-02.190.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	पूरक	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-02.277.0102.5205- अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 62.89	37.11	37.11	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 62.89 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.6175- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल पुनर्वि.	1,200.00 (-) 1,115.00	85.00	85.00	0.00	₹ 1,115.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 965.78 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में + ₹ 149.22 लाख समर्पण के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल पूरक पुनर्वि.	12,000.00 18,700.00 (-) 6,860.64	23,839.36	23,839.36	0.00	₹ 6,860.64 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 1,284.61 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में + ₹ 5,576.03 लाख समर्पण के रूप में) आवश्यकता न पड़ने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	303.02 (-) 267.47	35.55	35.55	0.00	₹ 267.47 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने तथा जिलों द्वारा आहरण न करने के कारण हुई।
2225-02.277.0422.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,363.61 (-) 905.95	457.66	457.66	0.00	₹ 905.95 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 356.21 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में + ₹ 549.74 लाख समर्पण के रूप में) आहरण न होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0422.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	303.02 (-) 257.57	45.45	45.45	0.00	₹ 257.57 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण न होने के कारण हुई।
2225-02.277.1702.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,363.61 (-) 873.38	490.23	490.23	0.00	₹ 873.38 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 242.41 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में + ₹ 630.97 लाख समर्पण के रूप में) आहरण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.1702.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	303.02 (-) 303.02	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आहरण न होने के कारण हुई।
2225-02.800.0802.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्द्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	852.60 (-) 852.60	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आहरण न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.9853- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान	मूल पुनर्वि.	500.00 4,391.18	4,891.18	4,891.18	0.00	₹ 4,391.18 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,845.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 453.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी जिलों द्वारा आहरण न करने के कारण हुई, जबकि वृद्धि श्री राजा शाह, श्री रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस और बिरसा मुंडा जयंती, जननायक तांतिया भील तथा गौरव यात्रा एवं पेसा अधिनियम जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त निधि आवश्यकता के कारण हुई।
2225-02.277.0102.8842- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	220.00 48.01	268.01	268.01	0.00	₹ 48.01 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1.99 लाख की निधि में कमी का निवल प्रभाव था। कमी कम बचत के कारण तथा वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।
2225-02.277.0102.9943- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 501.54	501.54	501.54	0.00	₹ 501.54 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 498.46 लाख की निधि में कमी का निवल प्रभाव था। कमी नई योजना में संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि योजना में बदलाव होने पर अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0702.6175- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल	8,625.00	11,040.30	11,040.30	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,402.80 लाख की राशि का निधि में आवर्धन केन्द्रांश में प्राप्त राशि के आहरण की आवश्यकता के कारण हुई।
	पूरक	1,012.50				
	पुनर्वि.	1,402.80				
2225-02.277.0705.6175- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल	2,875.00	3,680.10	3,680.10	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 467.60 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	337.50				
	पुनर्वि.	467.60				

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में ₹ 1,500.00 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 41,140.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 41,140.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल	1,000.00	113.89	123.95	+ 10.06	₹ 886.11 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पुनर्वि.	(-) 886.11				
4225-02.277.0102.0495- जूनियर छात्रावास	मूल	1,000.00	159.57	149.51	(-) 10.06	₹ 840.43 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पुनर्वि.	(-) 840.43				
4225-02.277.0102.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल	18,033.54	7,105.27	7,105.27	0.00	₹ 10,928.27 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 10,928.27				

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 2,300.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य योजना की अनुमति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.277.0422.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 7,578.20	2,421.80	2,421.80	0.00	₹ 7,578.20 लाख प्रत्याशित बचत कार्य योजना की अनुमति न मिलने के कारण हुई।
4225-02.277.1902.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	14,400.00 (-) 8,094.27	6,305.73	6,305.73	0.00	₹ 8,094.27 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 254.27 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,840.00 लाख) संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.800.0802.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्द्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 900.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,960.00 7,493.09	9,453.09	9,453.09	0.00	₹ 7,493.09 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 8,980.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,486.91 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,140.00 लाख + ₹ 346.91 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कार्य पूर्ण न होने तथा संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	37,44,22,67			
पूरक	3,53,31,44	40,97,54,11	40,09,60,90	(-) 87,93,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				42,87,99

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 8,793.21 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 7,553.31 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 10,100.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 17,678.13 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35,331.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 8,793.21 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 4,287.99 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) ₹ 8,793.21 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,20,73,02			
पूरक	6,77,33,21	11,98,06,23	9,06,20,00	(-) 2,91,86,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				56,24,62

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	30	31	0	(-) 31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				31

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,33,20,06			
पूरक	2,81,86	1,36,01,92	1,36,01,23	(-) 69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				69

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 29,186.23 लाख के अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 46.69 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 67,686.52 लाख) में प्राप्त ₹ 67,733.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 29,186.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 5,624.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-108.0102.7690- पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	184.00 (-) 184.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 184.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुई।
2851-108.0103.7690- पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	128.00 (-) 128.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 128.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुई।
2851-111.0101.9921- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	6,100.00 5,000.00 (-) 1,607.81	9,492.19	4,492.79	(-) 4,999.40	₹ 1,607.81 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख + ₹ 1,587.81 लाख समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों, ऑनलाइन मॉड्यूल प्रशिक्षण किया जाना एवं बचत की संभावना के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-111.0102.9921- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 1,380.00	920.00	920.00	0.00	₹ 1,380.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 920.00 लाख + ₹ 460.00 लाख समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों तथा अनुसूचित जाति के मामले संबंधित विभाग द्वारा प्रायोजित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-111.0103. 9921- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 960.00	640.00	640.00	0.00	₹ 960.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 640.00 लाख + ₹ 320.00 लाख समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों तथा अनुसूचित जाति के मामले संबंधित विभाग द्वारा प्रायोजित किये जाने के कारण हुई।
2851-800.0101.2124- एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	17,629.01 31,000.00 (-) 339.51	48,289.50	29,889.50	(-) 18,400.00	समर्पण के रूप में ₹ 339.51 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 0.69 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2023 को समर्पित कर दी गयी।
- (5) ₹ 0.69 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041—वाहन कर, 3055—सड़क परिवहन, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,11,38,69			
पूरक	21,25,00	1,32,63,69	91,84,71	(-) 40,78,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	25,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,60,01			
पूरक	0	13,60,01	5,35,07	(-) 8,24,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 (₹ 70.00 लाख) तथा दिसंबर 2022 (₹ 2,055.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,125.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,078.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 4.59 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2041-101.4280- जिला स्थापना	मूल	4,516.21	4,516.21	3,297.01	(-) 1,219.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3055-003.0801.9910- ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान	पूरक	550.00	550.00	0.00	(-) 550.00	सम्पूर्ण पूरक प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3055-004.0701.8858- सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड)	मूल	504.80	504.80	0.00	(-) 504.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3055-004.9845- ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन	मूल पूरक	0.01 70.00	70.01	0.00	(-) 70.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 824.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	1,360.00	1,360.00	535.07	(-) 824.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,16,62,00			
पूरक	51,85,00	1,68,47,00	1,43,37,78	(-) 25,09,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				25,09,22

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,28,00,00			
पूरक	0	1,28,00,00	1,28,00,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,509.22 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2023 को प्राप्त ₹ 5,185.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन समाप्त

- (2) ₹ 2,509.22 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2023 को समर्पित कर दी गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452.01.101.0101.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	772.66 (-) 539.97	232.69	232.69	0.00	₹ 539.97 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख + ₹ 339.97 लाख समर्पण के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई।
3452.01.101.0701.9639- महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	474.60 (-) 474.60	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
3452.01.101.0704.9639- महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	316.40 (-) 316.40	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
3452.01.190.0101.3346- पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 700.00	4,300.00	4,300.00	0.00	₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452.80.001.0101.1919- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	1000.00 200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	₹ 200.00 लाख की निधि का आवर्धन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,63,34,79			
पूरक	37,31,00	6,00,65,79	5,24,96,90	(-) 75,68,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				57,27,62

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00			
पूरक	0	8,00	0	(-) 8,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,50,00			
पूरक	0	23,50,00	21,15,09	(-) 2,34,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,00

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि ₹ 52,496.90 लाख का वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 3,731.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,568.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 5,727.62 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.9519- देवारण्य योजना	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-02.101.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,137.00 (-) 180.93	956.07	766.07	(-) 190.00	समर्पण के रूप में ₹ 180.93 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-02.101.0102.9519- देवारण्य योजना	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-02.101.0103.9519- देवारण्य योजना	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	2,671.80 (-) 543.32	2,128.48	2,128.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 543.32 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	1,007.40 (-) 903.98	103.42	103.42	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 903.98 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0703.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	700.80 (-) 573.11	127.69	127.69	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 573.11 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
2210-02.101.0704.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	1,781.20 (-) 362.21	1,418.99	1,418.99	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 362.21 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था।
2210-02.101.0705.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	671.60 (-) 602.65	68.95	68.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 602.65 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण के प्रतिबंध के कारण हुआ था।
2210-02.101.0706.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	467.20 (-) 382.07	85.13	85.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 382.07 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था।
2210-05.101.0101.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	4,126.25 (-) 459.70	3,666.55	3,624.95	(-) 41.60	समर्पण के रूप में ₹ 459.70 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 234.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 4.00 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0102.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल	80.00	80.00	55.00	(-) 25.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
4210-02.101.0103.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	128.00	128.00	76.98	(-) 51.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
4210-03.101.0101.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 4.00	596.00	491.86	(-) 104.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य, भंडारण और भंडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,55,44,96			
पूरक	6,66	11,55,51,62	9,44,22,50	(-) 2,11,29,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				6,12,21

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86			
पूरक	0	86	0	(-) 86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				60

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,02,55,94			
पूरक	0	1,02,55,94	71,20,00	(-) 31,35,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				27,58

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया, ₹ 6.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 21,129.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 612.21 लाख अभ्यर्पित किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल 121.39	121.39	13.31	(-) 108.08 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल 45.77	45.77	4.84	(-) 40.93 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.001.0629- उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल 3,976.26	3,976.26	2,907.84	(-) 1,068.42 इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 38.00 लाख की राशि की कमी एवं वृद्धि हुई थी। इस शीर्ष में कम व्यय के कारण कमी हुई थी। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.001.1471- जिला कार्यालय	मूल 4,963.90	4,963.90	3,935.78	(-) 1,028.12 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.101.0101.6627- खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटरजाइशन परियोजना	मूल 78.74	78.74	0.00	(-) 78.74 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.101.0102.7566- विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न	मूल 871.00	871.00	667.55	(-) 203.45 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.101.0103.7566- विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न	मूल 429.00	429.00	280.54	(-) 148.46 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0701.7367-	मूल	300.08	300.08	139.76	(-) 160.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन						
2408-01.102.0702.1299-	मूल	5,922.50	5,922.50	0.00	(-) 5,922.50	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति						
2408-01.102.0703.1299-	मूल	4,120.00	4,120.00	0.00	(-) 4,120.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति						
2408-01.102.0704.7367-	मूल	300.08	300.08	100.00	(-) 200.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन						
2408-01.102.0705.1299-	मूल	5,922.50	5,922.50	0.00	(-) 5,922.50	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति						
2408-01.102.0706.1299-	मूल	4,120.00	4,120.00	0.00	(-) 4,120.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति						
2408-01.102.9916-	मूल	1,500.00	1,500.00	1,278.27	(-) 221.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार						
2408-01.800.0801.9253-	मूल	80.02	80.02	0.00	(-) 80.02	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना						
2408-02.190.0101.1275-	मूल	91.50	91.50	25.52	(-) 65.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2012 के अंतर्गत अनुदान						

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0701.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	15,707.50	15,707.50	18,090.00	+ 2,382.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2408-01.102.0704.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	15,707.50	15,707.50	18,090.00	+ 2,382.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 3,135.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 27.58 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6408-02.190.1401.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	6,100.00	6,100.00	4,220.59	(-) 1,879.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
6408-02.190.1402.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	2,300.00	2,300.00	1,591.37	(-) 708.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
6408-02.190.1403.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	1,600.00	1,600.00	1,107.04	(-) 492.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604—पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन और 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,36,11,94			
पूरक	14,72,00,00	80,08,11,94	54,61,92,07	(-) 25,46,19,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया, ₹ 1,47,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,54,619.87 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल	729.06	729.06	582.67	(-) 146.39	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में समान रूप से ₹ 4.14 लाख की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-101.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	64.00	64.00	19.03	(-) 44.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-101.2474- पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार	मूल	22,795.97	22,795.97	18,824.35	(-) 3,971.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0701.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	7,051.60	7,051.60	1,493.40	(-) 5,558.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0701.8775- प्रशासन योजना जिला स्तर	मूल	2,880.00	2,880.00	6.46	(-) 2,873.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0702.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	2,658.80	2,658.80	0.00	(-) 2,658.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0703.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	1,849.60	1,849.60	0.00	(-) 1,849.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0704.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	3,318.40	3,318.40	995.60	(-) 2,322.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0704.8775- प्रशासन योजना जिला स्तर	मूल	1,920.00	1,920.00	187.89	(-) 1,732.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0705.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	1,251.20	1,251.20	0.00	(-) 1,251.20	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.0706.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	870.40	870.40	0.00	(-) 870.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2515-198.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	1,86,050.00 1,12,755.20	2,98,805.20	1,68,570.20	(-) 1,30,235.00	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में समान राशि ₹ 53,875.20 लाख की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-198.0101.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,150.00 (-) 5,000.00	4,150.00	4,149.97	(-) 0.03	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-198.0101.9579- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	मूल	305.00	305.00	0.00	(-) 305.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-198.0101.9580- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर भीमबैठका तथा तामिया के पर्यटन विकास हेतु अनुदान	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-198.0102.9579- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	मूल	115.00	115.00	0.00	(-) 115.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-198.0102.9611- स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	1,817.00	1,817.00	0.00	(-) 1,817.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 40—पंचायत समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-198.0103.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,400.00 (-) 1,000.00	1,400.00	0.00	(-) 1,400.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-197.0101.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,050.00 5,000.00	8,050.00	7,425.44	(-) 624.56	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
3604-197.0102.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,150.00 2,000.00	3,150.00	2,166.18	(-) 983.82	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 0.01 लाख की सम्पूर्ण बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 41—प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2852—उद्योग)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	83,00			
पूरक	20,00,00	20,83,00	9,44,83	(-) 11,38,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,05

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 1,138.17 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,138.17 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 12.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2852-80.800.0101.1951- फ्रेन्ड्स ऑफ एम.पी. कॉनक्लेव	मूल 83.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-) 12.05	2,070.95	944.83	(-) 1,126.12	₹ 12.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 55.80 लाख की कमी तथा ₹ 43.75 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी तथा वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,29,43,95			
पूरक	14,00	1,29,57,95	1,16,84,85	(-) 12,73,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,29,85

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,01			
पूरक	0	5,01	41	(-) 4,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,60

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,10,04			
पूरक	0	3,10,04	1,27,64	(-) 1,82,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,82,40

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 14.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,273.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,229.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	117.00 (-) 47.22	69.78	69.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 47.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-02.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना सम्बन्धी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	195.24 (-) 55.56	139.68	138.42	(-) 1.26	₹ 55.56 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 56.56 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1.00 लाख + समर्पण ₹ 55.56 लाख) की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि आंशिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। शेष कमियों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-02.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 90.44	309.56	309.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 90.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	295.71 (-) 51.81	243.90	243.87	(-) 0.03	समर्पण के रूप में ₹ 51.81 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) सम्पूर्ण बचत ₹ 4.60 लाख 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित कर दी गयी।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 182.40 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित कर दी गयी।
 (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 172.36	127.64	127.64	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 172.36 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-01.201.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना सम्बन्धी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	10.01 (-) 10.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.01 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,80,56,14			
पूरक	78,01,33	2,58,57,47	2,35,72,81	(-) 22,84,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				20,09,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20			
पूरक	0	20	0	(-) 20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,66,79,00			
पूरक	51,00,00	2,17,79,00	2,16,94,75	(-) 84,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				57,41

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,284.66 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 7,801.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,284.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 2,009.81 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,887.01 (-) 307.99	1,579.02	1,589.71	+ 10.69	₹ 307.99 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.58 लाख की वृद्धि एवं ₹ 308.57 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.58 लाख + ₹ 307.99 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा पर प्रतिबंध, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुई। वृद्धि डीए के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2204-800.0101.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	575.34 142.78 (-) 26.75	691.37	548.59	(-) 142.78	समर्पण द्वारा ₹ 26.75 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0101.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	4,240.02 200.00 (-) 492.92	3,947.10	3,946.53	(-) 0.57	₹ 492.92 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 615.34 लाख की कमी (समर्पण द्वारा ₹ 492.92 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 122.41 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 122.41 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी तकनीकी प्रशिक्षक/लेख विज्ञान विशेषज्ञ की नियुक्ति न होना, समिति को सेवानिवृत्ति प्रस्ताव विलम्ब से प्रस्तुत करना, अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् तकनीकी शिक्षक का इस्तीफा देना, योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भर्ती न हो पाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों के भोजन संबंधी लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2204-800.0101.6239- खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल पुनर्वि.	205.00 (-) 95.45	109.55	114.55	+ 5.00	समर्पण द्वारा ₹ 95.45 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2204-800.0101.8841- मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु-स्टेडियम आदि	मूल पूरक पुनर्वि.	845.98 38.61 (-) 149.30	735.29	736.67	+ 1.38	समर्पण द्वारा ₹ 149.30 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2204-800.0102.6239- खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल पुनर्वि.	95.00 (-) 43.59	51.41	51.41	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 43.59 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0103.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	667.73 (-) 113.19	554.54	554.54	0.00	₹ 113.19 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 148.43 लाख की कमी (समर्पण द्वारा ₹ 113.19 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.24 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.24 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय, तकनीकी प्रशिक्षण/खेल विज्ञान विशेषज्ञ की नियुक्ति न होना, समिति को सेवानिवृत्ति प्रस्ताव विलम्ब प्रस्तुत करना, अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् तकनीकी शिक्षक का इस्तीफा, योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भर्ती न हो पाने के कारण हुई जबकि वृद्धि मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों के भोजन संबंधी लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 84.25 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 1,500.00 लाख) एवं दिसंबर 2022 (₹ 3,600.00 लाख) में प्राप्त ₹ 5,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 84.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 57.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	28,33,57,58			
पूरक	87,16,00	29,20,73,58	22,56,63,13	(-) 6,64,10,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				6,39,28,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	7,70	(-) 2,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,29

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,79,19,01			
पूरक	0	6,79,19,01	5,59,71,72	(-) 1,19,47,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				88,53,38

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 8,716.00 लाख का अनुपूरक अनुदान सितंबर 2022 (₹ 4,216.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 2,500.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 2,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 66,410.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 63,928.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0744- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	175.00 100.00 (-) 104.46	170.54	157.46	(-) 13.08	समर्पण के रूप में ₹ 104.46 लाख की प्रत्याशित बचत परिपत्र दिनांक 20 मार्च 2023 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबंधों के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0101.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	761.03 (-) 761.03	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 761.03 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि जारी न होने के कारण हुआ था।
2202-03.103.0102.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	285.94 (-) 285.94	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 285.94 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि जारी न होने के कारण हुआ था।
2202-03.103.0103.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	200.03 (-) 200.03	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.03 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि जारी न होने के कारण हुआ था।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	3,760.00 (-) 1,885.00	1,875.00	1,785.24	(-) 89.76	समर्पण के रूप में ₹ 1,885.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबंधों के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	1,864.00 (-) 1,025.00	839.00	727.06	(-) 111.94	समर्पण के रूप में ₹ 1,025.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रक्रिया पूर्ण न होने एवं वित्त विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबंधों के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0101.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,194.00 (-) 2,807.00	10,387.00	10,246.28	(-) 140.72	समर्पण के रूप में ₹ 2,807.00 लाख की प्रत्याशित बचत सातवें वेतनमान के आदेश के जारी न होने, अद्यतन व्यय पर विचार करते हुए शेष अवधि हेतु संभावित बचत के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2202-03.104.0102.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	6,043.42 (-) 4,725.00	1,318.42	1,260.70	(-) 57.72	समर्पण के रूप में ₹ 4,725.00 लाख की प्रत्याशित बचत सातवें वेतनमान के आदेश जारी न होने एवं वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु संभावित बचत के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0103.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,752.58 (-) 2,590.00	162.58	145.04	(-) 17.54	₹ 2,590.00 लाख की प्रत्याशित बचत सातवें वेतनमान आदेश जारी न होने एवं वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु संभावित बचत के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.107.0101.5766- प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	50.02 (-) 50.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50.02 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत नियम/निर्देशों के अद्यतन न होने के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.8855- पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	मूल पुनर्वि.	56.00 172.00	228.00	221.09	(-) 6.91	₹ 172.00 लाख की निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 3.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 175.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय के आधार के कारण हुई। जबकि वृद्धि विद्यार्थियों की जरूरतों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 11,947.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 8,853.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	4,539.86 (-) 2,533.46	2,006.40	2,006.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,533.46 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,711.75 (-) 1,500.55	211.20	211.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,500.55 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0704.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	3,026.57 (-) 1,688.97	1,337.60	1,337.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,688.97 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0705.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,141.16 (-) 1,000.36	140.80	140.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.36 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ था।
4202-01.203.0706.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	793.87 (-) 512.27	281.60	281.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 512.27 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ था।
4202-01.203.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	20,510.00 (-) 3,108.86	17,401.14	13,199.95	(-) 4,201.19	₹ 3,108.86 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना में प्रत्याशित व्यय न होने एवं निर्माण एजेंसी द्वारा व्यय न किये जाने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल पुनर्वि.	2,410.00 1,500.00	3,910.00	5,521.02	+ 1,611.02	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,500.00 लाख की निधि का आवर्धन शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-01.203.0103.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल पुनर्वि.	1,680.00 1,000.00	2,680.00	3,211.60	+ 531.60	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की निधि का आवर्धन शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व एवं 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,79,06			
पूरक	60,00,00	73,79,06	28,58,04	(-) 45,21,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व दत्तमत अनुभाग में दर्शाए गए व्यय (₹ 28,58,03,832) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से कुल स्वीकृत अग्रिम राशि ₹ 20,54,32,500 (20.07.2022 को स्वीकृत ₹ 6,50,82,500 एवं 29.08.2022 को स्वीकृत ₹ 14,03,50,000) में से ₹ 20,54,32,500 व्यय की गई राशि भी शामिल हैं, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50,00,00			
पूरक	50,00,00	2,00,00,00	67,03,23	(-) 1,32,96,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 6,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,521.02 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-104.0101.3837-	पूरक	6,000.00	6,000.00	2,720.33	(-) 3,279.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान						
2029-104.0101.9549-	मूल	970.00	970.00	100.00	(-) 870.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता						
2029-104.7656-	मूल	408.05	408.05	37.71	(-) 370.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यालय स्थापना						

पूजीगत:

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, सितंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 13,296.77 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.051.7875-	मूल	5,000.00	5,000.00	288.07	(-) 4,711.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपी गई संपत्तियों का विकास कार्य						
4070-190.0101.9549-	मूल	10,000.00	10,000.00	1,609.00	(-) 8,391.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता						

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,51,84,57			
पूरक	20,00,00	1,71,84,57	1,71,84,25	(-) 32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				32

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,05,12,01			
पूरक	2,29,15,01	3,34,27,02	3,34,27,01	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 0.32 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) संपूर्ण बचत ₹ 0.32 लाख को 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा, 2230—श्रम तथा रोजगार, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,24,50,20			
पूरक	3,54,73,73	14,79,23,93	12,20,34,35	(-) 2,58,89,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,33,45,55

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	68	(-) 9,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				9,32

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,13,44,38			
पूरक	49,00,00	4,62,44,38	4,24,24,97	(-) 38,19,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				35,81,44

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 25,889.58 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 7,929.73 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 21,044.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 6,500.00 लाख) में प्राप्त ₹ 35,473.73 लाख का अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 25,889.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 23,345.55 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-105.0101.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	15,964.10 (-) 3,232.07	12,732.03	12,712.69	(-) 19.34	₹ 3,232.07 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 732.93 लाख + पुनर्वियोजन के रूप में ₹ 2,499.14 लाख) इस शीर्ष में कम व्यय, समय पर देयक प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2203-105.0102.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	4,024.42 (-) 1,438.75	2,585.67	2,591.67	+ 6.00	₹ 1,438.75 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 438.75 लाख + पुनर्वियोजन के रूप में + ₹ 1,000.00 लाख) इस शीर्ष में कम व्यय, समय पर देयक प्राप्त न होने के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2203-105.0103.9238- डा. बाबा साहेब अंबेडकर पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	466.70 (-) 207.65	259.05	259.05	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 207.65 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर देयक प्राप्त न होने के कारण हुआ था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-112.0101.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 112.97	127.03	127.04	+ 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 112.97 लाख की प्रत्याशित बचत मांग के अभाव के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2203-112.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	605.00 (-) 413.41	191.59	191.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 413.41 लाख की प्रत्याशित बचत कम बजट प्रावधान के कारण हुई।
2203-112.0102.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	120.00 (-) 42.60	77.40	77.39	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 42.60 लाख की प्रत्याशित बचत, कम बजट प्रावधान के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-02.101.0101.0724- जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	440.01 (-) 438.65	1.36	1.36	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 438.65 लाख की प्रत्याशित बचत रोजगार निदेशालय भोपाल एवं यशस्वी अकादमी प्रतिभा प्रबंधन पूणे के बीच संविदा निदेशालय द्वारा समाप्त किये जाने से राशि खर्च नहीं करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-02.101.0801.0644- इंटरलिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत का कारण जिला रोजगार कार्यालय के समाप्त होने पर राशि खर्च नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.003.0101.9617- मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना	मूल	1,525.00	1,525.00	0.00	(-) 1,525.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0102.9617- मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना	मूल	575.00	575.00	0.00	(-) 575.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2230-03.003.0103.9617- मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2230-03.003.0701.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 700.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 700.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.003.0702.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	70.00 (-) 70.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 70.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.003.0703.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	70.00 (-) 70.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 70.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.003.0704.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.101.0801.5392- स्ट्राइव योजना	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 2,530.43	669.57	669.57	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,530.43 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.101.0801.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,300.02 (-) 2,300.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,300.02 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.101.0802.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	902.80 (-) 902.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 902.80 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
2230-03.101.0803.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	797.60 (-) 797.60	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 797.60 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0102.8885- स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	मूल पूरक पुनर्वि.	2,806.00 345.00 977.88	4,128.88	4,128.88	0.00	₹ 977.88 लाख की निधि का आवर्धन प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 22.12 लाख की कमी एवं पुनर्वियोजन के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी सातवें वेतन का कार्यान्वयन न होने एवं रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित देयकों एवं वेतन के भुगतान के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0701.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	853.88 202.63	1,056.51	1,056.31	(-) 0.20	पुनर्वियोजन के रूप में ₹ 202.63 लाख की निधि का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 3,819.41 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2022 में प्राप्त ₹ 4,900.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 3,819.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 3,581.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	7,643.41 (-) 2,038.24	5,605.17	5,531.64	(-) 73.53	₹ 2,038.24 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 1,338.24 लाख + पुनर्वियोजन के रूप में ₹ 700.00 लाख) इस शीर्ष के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4202-02.104.0103.6215- तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय	मूल पुनर्वि.	253.71 (-) 68.41	185.30	185.29	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 68.41 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।
4202-02.104.0801.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएँ	मूल पुनर्वि.	83.48 (-) 67.19	16.29	16.29	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 67.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-201.0103.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	2,498.24 (-) 500.32	1,997.92	1,883.26	(-) 114.66	समर्पण के रूप में ₹ 500.32 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बचत भी हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2700—मुख्य सिंचाई, 2701—मध्यम सिंचाई, 2801—बिजली, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,60,55,54			
पूरक	2,05,70,01	4,66,25,55	4,50,98,29	(-) 15,27,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				15,26,19

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,01,73,02			
पूरक	43,04,89,00	73,06,62,02	71,59,36,29	(-) 1,47,25,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,45,22,35

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,01			
पूरक	0	1,00,01	95,55	(-) 4,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,46

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,527.26 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 13,070.01 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 7,500.00 लाख) में प्राप्त ₹ 20,570.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,527.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,526.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 14,725.73 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 80,000.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 2,60,414.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 90,075.00 लाख) में प्राप्त ₹ 4,30,489.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 14,725.73 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 14,522.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) चूंकि ₹ 14,725.73 लाख की संपूर्ण बचत मूल प्रावधान से पांच प्रतिशत कम था, निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय परिवर्तन देखी गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.800.1901.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल	19,000.00	22,793.00	23,245.30	+ 452.30	₹ 16,480.00 लाख की प्रत्याशित बचत एसएनए लेखे में जमा राशि, लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	20,273.00				
	पुनर्वि.	(-) 16,480.00				
4700-66.800.0102.5091- लोअर गोई परियोजना	मूल	250.00	6,609.94	7,209.94	+ 600.00	₹ 5,359.94 लाख की निधि का आर्वधन समर्पण के रूप में ₹ 2.05 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,362.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के कारण हुई थी। कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	5,359.94				

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 568.73	931.27	966.80	+ 35.53	₹ 568.73 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान एवं नाबार्ड जमा योजना के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.001.1401.1002- भीकनगांव बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,500.00 4,000.00 (-) 346.79	6,153.21	8,753.21	+ 2,600.00	समर्पण के रूप में ₹ 346.79 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.001.1901.1002- भीकनगांव बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	मूल	5,000.00	5,000.00	2,400.29	(-) 2,599.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.001.1901.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	8,500.00 (-) 7,374.47	1,125.53	490.00	(-) 635.53	₹ 7,374.47 लाख की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान, मोरान्द गंजाल परियोजना एवं नाबार्ड पोषित के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.800.0101.0999- ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 1,002.58	2,197.42	2,052.49	(-) 144.93	₹ 1,002.58 लाख की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान, मोरान्द गंजाल परियोजना एवं नाबार्ड पोषित के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था। शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.800.0101.2333- एन.बी. कंपनी लिमिटेड का निवेश	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 32.51	317.49	354.12	+ 36.63	₹ 32.51 लाख की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान, मोरान्ड गंजाल परियोजना एवं नाबार्ड पोषित के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.800.0101.7665-सावेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 48.10	1.90	96.28	+ 94.38	₹ 48.10 लाख की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4700-80.800.0101.9000-रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर यूनिट—दो	पूरक पुनर्वि.	300.00 (-) 1.79	298.21	285.21	(-) 13.00	समर्पण के रूप में ₹ 1.79 लाख की प्रत्याशित बचत नाबार्ड पोषित योजना के भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4701-45.001.0102.5152-हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	230.20 (-) 77.61	152.59	152.04	(-) 0.56	समर्पण के रूप में ₹ 77.61 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4801-01.206.0101.5287-संचालक पुर्नवास, खण्डवा तथा अधीनस्थ अधिकारी—जी.आर.ए.ई.सा. प./औ.सा.प. तथा आई.टी. आई. की स्थापना	मूल पुनर्वि.	399.38 (-) 174.16	225.22	225.07	(-) 0.15	समर्पण के रूप में ₹ 174.16 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4801-80.001.0101.9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	30,500.00 (-) 30,500.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 30,500.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था।
4801-80.001.0102.9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	11,000.00 (-) 11,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 11,000.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-80.001.0103.9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	8,500.00 (-) 8,500.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 8,500.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ था।

(6) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2022-23 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। उचन्त के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 2,111.65	0.00	0.00	(-) 2,111.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 102.80	0.00	0.00	(-) 102.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 258.61	0.00	0.00	(-) 258.61
योग	(-) 2,528.14	0.00	0.00	(-) 2,528.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 237.78	0.00	0.00	(-) 237.78
योग	(-) 170.69	0.00	0.00	(-) 170.69

प्रभारित

(7) ₹ 4.46 लाख राशि की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,85,49,79			
पूरक	2,10,39,14	15,95,88,93	13,15,51,92	(-) 2,80,37,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,80,42,40

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,00,09			
पूरक	सांकेतिक	2,00,00,09	91,83,89	(-) 1,08,16,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,08,16,20

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 (₹ 17,401.11 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 138.03 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 3,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया, ₹ 21,039.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2023 को ₹ 28,042.40 लाख की अभ्यर्पित राशि ₹ 28,037.01 लाख की उपलब्ध बचत के अत्यधिक एवं अवास्तविक थी।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.0103.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	4,969.00 (-) 1,512.46	3,456.54	3,456.54	0.00	₹ 1,512.46 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 1,412.46 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 100.00 लाख) इस योजना के अंतर्गत बचत एवं जिला अधिकारियों द्वारा निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण अंशतः हुई।
2225-01.001.0603.9094- समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2225-01.196.0103.5902- राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं एवं 10वीं)	मूल पुनर्वि.	1,450.00 (-) 1,449.97	0.03	0.03	0.00	₹ 1,449.97 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 249.97 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,200.00 लाख) अंशतः केन्द्रांश प्रायोजित पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति कम स्वीकृति होने के कारण राज्य छात्रवृत्ति में कम मांग होने एवं एमपीएसईडीसी द्वारा भुगतान एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रिया न होने पर राशि आहरित नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.0703.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	315.00 (-) 315.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 315.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी के खाते में केन्द्रांश के 60 प्रतिशत के प्रत्यक्ष भुगतान होने पर आवंटन अप्रयुक्त होने के कारण हुई।
2225-01.196.0703.5133-विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 6,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,000.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 5,360.14 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 639.86 लाख) भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी के खाते में केन्द्रांश के 60 प्रतिशत के प्रत्यक्ष भुगतान होने पर आवंटन अप्रयुक्त होने के कारण केन्द्र में प्रायोजित पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति कम स्वीकृति होने के कारण राज्य छात्रवृत्ति की कम मांग होने के कारण हुई।
2225-01.196.0706.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	210.00 (-) 210.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 210.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पीएफएमएस में योजना की मैपिंग न होने से आवंटन अप्रयुक्त होने के कारण हुई।
2225-01.227.0103.2324-आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 760.00 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 240.00 लाख) संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया न होने एवं शासन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल	8,000.00	11,679.48	11,679.48	0.00	₹ 6,020.52 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 6,000.52 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 20.00 लाख) शैक्षणिक संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदन के अनुमोदन एवं सत्यापन न होने, शैक्षणिक संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा समय पर अनुमोदन की उपलब्धता न होने के कारण विभागीय जिला अधिकारियों द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण हुआ था।
	पूरक	9,700.00				
	पुनर्वि.	(-) 6,020.52				
2225-01.277.0103.7765- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल	5,299.99	0.00	0.00	0.00	₹ 5,299.99 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 0.06 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,299.93 लाख) अंशतः भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के खाते में केंद्रांश के 60 प्रतिशत के प्रत्यक्ष भुगतान, एसएनए लेखे में सेगमेंट कोड 0706 से राज्यांश के केंद्रीय प्रायोजित योजना अंतरण होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 5,299.99				
2225-01.277.0603.0538- शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण व अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 109.69 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 390.30 लाख) भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने एवं भारत सरकार से तत्काल व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 500.00				

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0703.7764- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	17,500.01 (-) 7,273.58	10,226.43	10,226.43	0.00	₹ 7,273.58 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 173.58 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 7,100.00 लाख) भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के खाते में केन्द्रांश के 60 प्रतिशत प्रत्यक्ष भुगतान एवं वित्तीय विभाग द्वारा एसएनए भुगतान के प्रतिबंध के कारण हुआ था।
2225-01.277.0803.7764- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	10,274.00 (-) 3,366.80	6,907.20	6,935.61	+ 28.41	₹ 3,366.80 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 14.80 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,352.00 लाख) भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन की सीमा आहरण करने एवं भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के खाते में केन्द्रीय निधि के 60 प्रतिशत के प्रत्यक्ष भुगतान के कारण हुआ था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-01.277.0803.7765- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 800.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 800.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के खाते में केन्द्रांश के 60 प्रतिशत के प्रत्यक्ष भुगतान के कारण हुई।
2225-01.793.0703.0326- अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	मूल पुनर्वि.	960.00 (-) 574.69	385.31	385.31	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 574.69 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.793.0703.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	6,640.06 (-) 3,924.45	2,715.61	2,715.61	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,924.46 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण हुआ था।
2225-01.793.0706.0326- अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	मूल पुनर्वि.	640.00 (-) 192.00	448.00	448.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 192.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि विलंब से प्राप्त होने एवं राज्यांश की आनुपातिक राशि आहरण न करने के कारण हुआ था।
2225-01.793.0706.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	4,426.71 (-) 1,400.54	3,026.17	3,026.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,400.54 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि विलंब से प्राप्त होने एवं राज्यांश की आनुपातिक राशि आहरण न करने के कारण हुआ था।
2225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	₹ 200.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 160.00 लाख) भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि प्राप्त न होने एवं व्यय न होने के कारण हुआ था।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.0103.8805- राज्य शासन अनुसूचित/ जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 व 8)	मूल पुनर्वि.	1,413.41 2,508.50	3,921.91	3,921.91	0.00	₹ 2,508.50 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,660.93 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 152.43 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वर्ग 1 से 8 हेतु कम बजट प्रावधान के कारण हुई जबकि कमी बीसीओं द्वारा निधि आहरण न करने के कारण हुई।
2225-01.277.0706.7764- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पूरक पुनर्वि.	0.05 5,000.00 9,451.96	14,452.01	14,452.01	0.00	₹ 9,451.96 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,452.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एमपीटएएससी के नोडल लेखे के माध्यम से पोस्ट मेट्रिक विद्यार्थी के लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-01.277.0706.7765- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल पुनर्वि.	0.01 3,839.00	3,839.01	3,839.01	0.00	₹ 3,839.00 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा एसएनए लेखे में सेगमेंट कोड 0706 से राज्यांश अंतरण के कारण हुआ था।

प्रभारित

- (5) ₹ 10.00 लाख की संपूर्ण राशि 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।
 (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10.00 लाख के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 10,816.20 लाख की संपूर्ण राशि 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।
 (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.190.0103.3185-म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन हेतु अनुमोदन की प्राप्ति न होने एवं निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।
4225-01.277.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 7,249.68	2,750.32	2,750.32	0.00	₹ 7,249.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 6,999.68 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 250.00 लाख) एजेंसी पीएसयू संरचना द्वारा व्यय न करने एवं कार्य प्रगति धीरे होने के कारण हुई।
4225-01.800.0103.4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 116.43	2,883.57	2,883.57	0.00	₹ 116.43 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 366.43 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विभिन्न निर्माण हेतु लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। जबकि कमी जिला द्वारा निधि के व्यय न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा प्रतिबंध के कारण हुई।
4225-01.800.0703.1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि प्राप्त न होने पर व्यय न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,62,85,87			
पूरक	0	6,62,85,87	2,88,23,28	(-) 3,74,62,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,64,48,99

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,07			
पूरक	0	5,00,07	0	(-) 5,00,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,00,07

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 37,462.59 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 36,448.99 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.7692- राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर देने तथा वित्तीय वर्ष में कोई भी राशि जारी/प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-109.0704.7692- राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर देने तथा वित्तीय वर्ष में कोई भी राशि जारी/प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-119.0101.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	2,745.00 (-) 2,745.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,745.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के लागू न होने के कारण राशि व्यय न होने पर हुई।
2401-119.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	305.00	305.00	0.00	(-) 305.00	₹ 305.00 लाख की संपूर्ण बचत वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल पर राशि आवंटित न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-119.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल	305.00	305.00	0.00	(-) 305.00	₹ 305.00 लाख की संपूर्ण बचत वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल पर राशि आवंटित न होने के कारण हुई।
2401-119.0102.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	1,035.00 (-) 1,035.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,035.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के लागू न होने के कारण राशि व्यय न होने पर हुई।
2401-119.0102.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	230.00 (-) 230.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 230.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की कोई देनदारी लंबित न होने के कारण राशि व्यय न होने पर हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0102.6497- व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	46.00 (-) 46.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 46.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 मार्च 2023 से आईएफएमआईएस में व्यय सीमा शून्य करने के कारण हुई।
2401-119.0102.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	115.00	115.00	0.00	(-) 115.00	कुल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	720.00 (-) 720.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 720.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना लागू न होने से राशि व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0103.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	160.00 (-) 160.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 160.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की कोई देनदारी लंबित न होने के कारण राशि व्यय न होने पर हुई।
2401-119.0103.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	₹ 80.00 लाख की संपूर्ण बचत वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल पर राशि आवंटित न होने के कारण हुई।
2401-119.0103.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	₹ 80.00 लाख की संपूर्ण बचत वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल पर राशि आवंटित न होने के कारण हुई।
2401-119.0701.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना	मूल पुनर्वि.	5,856.00 (-) 4,506.06	1,349.94	1,349.94	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,506.06 लाख की प्रत्याशित बचत राशि आहरण हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0701.5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	1,830.00 (-) 1,066.56	763.44	763.44	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,066.56 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि आहरण हेतु अनुमति 31 मार्च 2023 को प्राप्त होने के कारण हुई।
2401-119.0701.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	4,026.00 (-) 4,026.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,026.00 लाख के प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आदेश जारी न करने पर कोषालय से राशि का आहरण न होने के कारण हुई।
2401-119.0702.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,518.00 (-) 1,518.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,518.00 लाख के प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा राशि जारी न करने एवं कोषालय से राशि का आहरण न होने के कारण हुई।
2401-119.0703.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,056.00 (-) 1,056.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,056.00 लाख के प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा राशि जारी न करने एवं कोषालय से राशि का आहरण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0704.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना	मूल पुनर्वि.	3,904.00 (-) 3,004.04	899.96	899.96	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,004.04 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि का आहरण हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-119.0704.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,684.00 (-) 2,684.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,684.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा राशि जारी न करने एवं कोषालय से राशि का आहरण न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0705.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,012.00 (-) 1,012.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,012.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत राशि के आहरण हेतु अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2401-119.0706.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	704.00 (-) 704.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 704.00 लाख की संपूर्ण प्रत्याशित बचत राशि के आहरण हेतु अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 500.07 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4401-119.0701.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि आहरण हेतु अनुमति 31 मार्च 2023 को प्राप्त होने के कारण हुई।
4401-119.0704.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि आहरण हेतु अनुमति 31 मार्च 2023 को प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,23,56			
पूरक	20,35,80	1,08,59,36	87,54,65	(-) 21,04,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50			
पूरक	0	1,50	0	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 को प्राप्त ₹ 2,035.80 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,104.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2250-800.0101.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल 50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल पूरक	185.53 35.80	221.33	83.89	(-) 137.44	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में ₹ 24.00 लाख की समान रूप से वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि तथा कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल	150.00	150.00	39.92	(-) 110.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
2250-800.6292- धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	मूल	1,500.00	1,500.00	181.39	(-) 1,318.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2250-800.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	51.00	51.00	0.00	(-) 51.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,90,93,90			
पूरक	2,94,47,04	17,85,40,94	17,07,02,76	(-) 78,38,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,67,44,58			
पूरक	0	10,67,44,58	10,35,11,77	(-) 32,32,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				15,88,10

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 7,838.18 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2022 (₹ 9,920.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹ 16,539.04 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 2,988.00 लाख) में प्राप्त किया गया, ₹ 29,447.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,838.18 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 3,232.81 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,588.10 लाख अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,42,81			
पूरक	3,83	14,46,64	9,10,60	(-) 5,36,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	78,00,00			
पूरक	85,78,91	1,63,78,91	1,63,78,91	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण जारी

पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाए गए व्यय (₹ 1,63,78,91,000) में ₹ 85,78,91,000 की कुल स्वीकृत राशि (दिनांक 18.07.2022 को स्वीकृत ₹ 11,54,91,000 तथा दिनांक 30.09.2022 को स्वीकृत ₹ 74,24,00,000) के आकस्तिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में खर्च ₹ 85,78,91,000 की राशि सम्मिलित है। इस वर्ष के दौरान निधि हेतु इसकी प्रतिपूर्ति कर ली गयी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 में प्राप्त ₹ 3.83 लाख की राशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 536.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0101.6626-	मूल	46.34	46.34	0.00	(-) 46.34	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार						
2225-03.800.0101.7237-	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
मध्य प्रदेश हज समिति को हज हाउस के निर्माण हेतु अनुदान						
2225-03.800.0801.2676-	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति						
2225-03.800.6609-	मूल	68.06	68.06	32.65	(-) 35.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास						
2225-03.800.8244-	मूल	165.04	165.04	73.95	(-) 91.09	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की सामान रूप से वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि तथा कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
अल्प संख्यक आयोग						

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.9410- मध्य प्रदेश हज कमेटी, को अनुदान	मूल	180.00	180.00	87.73	(-) 92.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.800.9411- गिरजाघर और दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल	60.00	60.00	29.16	(-) 30.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.800.9413- वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	मूल	137.15	137.15	66.56	(-) 70.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,87,76,05			
पूरक	5,98,42,00	15,86,18,05	13,35,12,96	(-) 2,51,05,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,70,01			
पूरक	0	17,70,01	6,35,77	(-) 11,34,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 25,105.09 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2022 (₹ 49,842.00 लाख) एवं मार्च 2023 में (₹ 10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 59,842.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 25,105.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	451.96	451.96	326.30	(-) 125.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.277.0101.0496- आश्रम और छात्रावास	मूल	655.31	655.31	282.72	(-) 372.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.277.0101.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पूरक	55,260.00 44,100.00	99,360.00	86,587.25	(-) 12,772.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.277.0101.5181- उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	मूल पूरक	800.00 1,400.00	2,200.00	1,432.92	(-) 767.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.277.0101.6890- जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	मूल	637.98	637.98	350.25	(-) 287.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	2,461.00	2,461.00	301.07	(-) 2,159.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2225-03.800.0101.9607- पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-) 5,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 1,134.24 लाख लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 54-पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512- जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल	342.00	342.00	75.35	(-) 266.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4225-03.800.0704.5512- जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल	228.00	228.00	50.23	(-) 177.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
4225-03.800.0701.6889- जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण	मूल	1,080.00	1,080.00	459.17	(-) 620.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	57,15,16,98			
पूरक	10,77,86,13	67,93,03,11	55,83,22,67	(-) 12,09,80,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,09,56,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	2,25	(-) 2,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,75

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,62,10,06			
पूरक	27,43,56	1,89,53,62	1,77,95,67	(-) 11,57,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				11,57,95

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः सितंबर 2022 (₹ 1,07,686.13 लाख) तथा दिसंबर 2022 (₹ 100.00 लाख) में प्राप्त किया ₹ 1,07,786.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,20,980.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,20,956.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	8,401.14 (-) 4,353.63	4,047.51	4,047.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,353.63 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त-विभाग द्वारा व्यय पर लगाये गए प्रतिबन्ध के कारण हुई।
2235-02.102.0101.5643- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	मूल पुनर्वि.	55,746.90 (-) 15,399.90	40,347.00	40,347.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 15,399.90 लाख की प्रत्याशित बचत लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अनियमित कर्मचारी कोड से भुगतान किये जाने के कारण हुई।
2235-02.102.0101.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	1,552.00 (-) 1,544.63	7.37	7.37	0.00	₹ 1,544.63 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 1,344.29 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.34 लाख) वास्तविक व्यय, योजना हेतु अनुमति न मिलने, वित्त-विभाग द्वारा व्यय पर लगाये प्रतिबन्ध तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0102.5643- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	मूल पुनर्वि.	27,873.46 (-) 12,536.26	15,337.20	15,337.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,536.26 लाख की प्रत्याशित बचत लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अनियमित कर्मचारी कोड से किये गए भुगतान के कारण हुई।
2235-02.102.0701.0851- राष्ट्रीय झूलाघर योजना (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 60.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2235-02.102.0701.1291- पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	14,801.50 (-) 6,700.22	8,101.28	8,101.28	0.00	₹ 6,700.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 3,218.07 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,482.15 लाख) भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान केन्द्रांश न मिलने तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
2235-02.102.0704.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	36,555.79 (-) 10,272.14	26,283.65	26,279.02	(-) 4.63	समर्पण के रूप में ₹ 10,272.14 लाख की प्रत्याशित बचत एसएनए खाते में राज्यांश के अंतरण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश के समान आहरण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-02.102.0704.0851- राष्ट्रीय झूलाघर योजना (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0704.1291-पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	3,700.43 (-) 1,675.11	2,025.32	2,025.32	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,675.11 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.102.0707.0658-आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	पूरक पुनर्वि.	1,00,344.99 (-) 33,954.63	66,390.36	66,363.09	(-) 27.27	समर्पण के रूप में ₹ 33,954.63 लाख की प्रत्याशित बचत एसएनए खाते में राज्यांश के अंतरण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश के समान आहरण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2235-02.102.0707.1291-पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	पूरक पुनर्वि.	52.62 (-) 52.62	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 52.62 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0101.5033-जाबाली योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत संस्थानों से अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0101.9601-घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिये सहायता	मूल पुनर्वि.	541.25 (-) 499.66	41.59	41.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 499.66 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त-विभाग द्वारा व्यय सीमा पर लगाए गए प्रतिबंध तथा जिलों से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0101.9614-महिलाओं के लिये रोजगारमूलक सहायता	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य-दिवस तक निधि आवंटित न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.1326- स्वधार योजना (मिशन शक्ति-संबल)	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने पर निधि आहरण न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0701.2367- महिला शक्ति केंद्र	मूल पुनर्वि.	421.20 (-) 421.20	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 421.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 और 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
2235-02.103.0701.2375- सेफ सिटी कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	104.70 (-) 104.70	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 104.70 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0702.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई)(मिशन शक्ति सामर्थ्य)	मूल पुनर्वि.	4,485.00 (-) 1,354.05	3,130.95	3,130.95	0.00	₹ 1,354.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,814.05 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 372.35 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,441.70 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,460.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश को एसएनए खातों में अंतरण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश का समान आहरण एवं आवश्यकता से अधिक राशि का प्रावधान होने के कारण हुई तथा वृद्धि इस योजना हेतु आवश्यकता से कम राशि प्रावधान होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0704.1326- स्वधार योजना (मिशन शक्ति-संबल)	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश प्राप्त न होने पर निधि का आहरण न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0704.2367- महिला शक्ति केन्द्र	मूल पुनर्वि.	280.80 (-) 280.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 280.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर दिए जाने के कारण हुई।
2235-02.103.0707.2367- महिला शक्ति केन्द्र	पूरक पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर दिए जाने के कारण हुई।
2235-02.103.0707.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य)	पूरक पुनर्वि.	4,360.60 (-) 4,356.20	4.40	4.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,356.20 लाख की प्रत्याशित बचत एसएनए खाते में राज्यांश के अंतरण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश के समान आहरण होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.4065- विशेष अवसरों पर प्रचार	पूरक पुनर्वि.	50.00 1,001.18	1,051.18	1,051.18	0.00	₹ 1,001.18 लाख की निधि का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,019.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 17.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त-विभाग द्वारा व्यय-सीमा पर लगाये गए प्रतिबन्ध के कारण हुई जबकि वृद्धि भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0703.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएम्हीवाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य)	मूल पुनर्वि.	3,120.03 864.79	3,984.82	3,984.82	0.00	₹ 864.79 लाख का निधि का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,417.52 लाख (₹ 385.52 लाख समर्पण के रूप में + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,032.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,282.31 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी राज्यांश के एसएनए खातों में अंतरण के कारण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश के समान आहरण एवं आवश्यकता से अधिक राशि का प्रावधान होने के कारण हुई जबकि वृद्धि इस योजना हेतु आवश्यकता से कम राशि प्रावधान होने के कारण हुई।
2235-02.103.0706.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएम्हीवाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य)	मूल पुनर्वि.	2,081.36 549.04	2,630.40	2,630.40	0.00	₹ 549.04 लाख की निधि का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,269.88 लाख की वृद्धि एवं ₹ 720.84 लाख (₹ 31.50 लाख समर्पण के रूप में + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 689.34 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी राज्यांश के एसएनए खातों में अंतरण के कारण तथा वर्ष के दौरान केन्द्रांश के साथ राज्यांश के समान आहरण एवं आवश्यकता से अधिक राशि का प्रावधान होने के कारण हुई तथा वृद्धि इस योजना हेतु आवश्यकता से कम राशि प्रावधान होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 1,157.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसंबर 2022 (₹ 101.24 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 2,642.32 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,743.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 1,157.95 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0101.5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	8,100.00 (-) 1,601.78	6,498.22	6,252.22	(-) 246.00	₹ 1,601.78 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 119.93 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,481.85 लाख) वित्त-विभाग द्वारा लगायी गयी व्यय-सीमा तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के कारण हुई।
4235-02.102.0102.5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,034.00 (-) 836.00	2,198.00	2,444.00	+ 246.00	समर्पण के रूप में ₹ 836.00 लाख की प्रत्याशित बचत आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,352.02 (-) 1,352.02	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,352.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
4235-02.800.0704.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य)	मूल पुनर्वि.	1,984.00 (-) 1,984.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,984.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0101.9499- आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था	मूल	400.00	7,390.56	7,390.56	0.00	₹ 4,348.24 लाख की निधि का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,348.68 लाख वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वित्त-विभाग द्वारा व्यय-सीमा पर लगाये गये प्रतिबन्ध तथा वृद्धि आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के कारण हुई।
	पूरक	2,642.32				
	पुनर्वि.	4,348.24				
4235-02.102.0704.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	400.00	680.87	680.87	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 280.87 लाख की निधि का आवर्धन 14,214 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन देने के कारण हुआ।
पुनर्वि.	280.87					

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20,03,52			
पूरक	20,00	1,20,23,52	91,02,64	(-) 29,20,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	5	(-) 95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	7,50	(-) 17,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

- (2) ₹ 2,920.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2851-103.0931- केन्द्रीय कार्यालय	मूल	498.31	498.31	379.01	(-) 119.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.2542- पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	1,545.97	1,545.97	1,225.56	(-) 320.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	599.97	599.97	373.18	(-) 226.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.5146- टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल	156.77	156.77	73.34	(-) 83.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2851-107.0101.5491- कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना	मूल	100.00	100.00	22.28	(-) 77.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2851-107.0101.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	488.00	488.00	40.59	(-) 447.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।
2851-107.0102.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	216.32	216.32	120.05	(-) 96.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0102.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	184.00	184.00	23.51	(-) 160.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	128.00	128.00	1.15	(-) 126.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 17.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	25.00	25.00	7.50	(-) 17.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57-आनंद
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,01			
पूरक	सांकेतिक	5,00,01	4,22,00	(-) 78,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 78.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.1476- आनन्दम	मूल	500.00	500.00	422.00	(-) 78.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(हजार ₹ में)		
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व-			
प्रभारित	13,64,67	0	(-)13,64,67
03. गृह-			
राजस्व-			
दत्तमत	18,60,00	10,49,79	(-) 8,10,21
07. वाणिज्यिक कर			
राजस्व-			
दत्तमत	1	0	(-) 1
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	30,33,40,03	13,42,17,50	(-) 16,91,22,53
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
राजस्व-			
दत्तमत	37,00,00	37,00,00	0
10. वन-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,50,00,00	0	(-) 1,50,00,00
पूँजीगत-			
दत्तमत	8,55,03,51	0	(-) 8,55,03,51
12. ऊर्जा-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	9,60,50,00	0	(-) 9,60,50,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	5,15,00,00	0	(-) 5,15,00,00
पूँजीगत-			

परिशिष्ट-I-जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
दत्तमत	5,00,00	0	(-) 5,00,00
22. नगरीय विकास एवं आवास-			
राजस्व-			
दत्तमत	6,55,00,04	5,46,61,45	(-) 1,08,38,59
पूँजीगत-			
दत्तमत	10,00,00	10,00,00	0
23. जल संसाधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	22,00,01	20,00,00	(-) 2,00,01
24. लोक निर्माण कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	50,00,00	0	(-) 50,00,00
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	22,43,20	17,39,80	(-) 5,03,40
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,00,02	16	(-) 99,86
27. स्कूल शिक्षा-			
राजस्व-			
दत्तमत	37,84,42	13,72,72	(-) 24,11,70
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,84,00,00	1,15,48,80	(-) 68,51,21
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	71,99,35	0	(-) 71,99,35
30. ग्रामीण विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	3,14,24,06	2,00,00,00	(-) 1,14,24,06
33. जनजातीय कार्य			
राजस्व-			
दत्तमत	16,66,63	5,02,21	(-) 11,64,42
पूँजीगत-			
दत्तमत	82,00,01	97,44,60	+ 15,44,59
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार-			
राजस्व-			
दत्तमत	21	0	(-) 21
पूँजीगत-			
दत्तमत	2	0	(-) 2

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
48. नर्मदा घाटी विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	14,19,33	0	(-) 14,19,33
पूंजीगत-			
दत्तमत	2,02,93,24	0	(-) 2,02,93,24
52. चिकित्सा शिक्षा			
राजस्व-			
दत्तमत	50,61	0	(-) 50,61
55. महिला एवं बाल विकास			
राजस्व-			
दत्तमत	1,34,28,27	0	(-) 1,34,28,27
योग-	74,07,27,64	24,15,37,04	(-) 49,91,90,60
राजस्व-			
दत्तमत	60,53,15,56	21,92,43,48	(-) 38,60,72,08
प्रभारित	13,64,67	0	(-) 13,64,67
पूंजीगत-			
दत्तमत	13,40,47,41	2,22,93,56	(-) 11,17,53,85
महायोग			
राजस्व	60,66,80,23	21,92,43,48	(-) 38,74,36,75
पूंजीगत	13,40,47,41	2,22,93,56	(-) 11,17,53,85

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/en>